दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 30 मई, 2014

आप.अ. सं. 819/2011

रवि कुमार और अन्य .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री अजय वर्मा, अपीलार्थी सं. 1 - रवि कुमार के लिए अधिवक्ता।
श्री के. सिंघल, अपीलार्थी सं. 2 - करमवीर के लिए अधिवक्ता।
श्री विवेक सूद, अपीलार्थी सं. 3 - राज कुमार के लिए अधिवक्ता।
श्री जितेंद्र सेठी अपीलार्थी सं. 4 - संजय के लिए अधिवक्ता।

बनाम

राज्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री सुनील शर्मा, राज्य के लिए अपर लोक अभियोजक।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री कैलाश गंभीर
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री सुनीता गुप्ता

<u>निर्णय</u>

<u>: न्या. सुनीता गुप्ता</u>

1. कुलदीप अपनी माँ, भाई और बहन के साथ मकान सं. 73, ग्राम सभा, सेवक पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली में रह रहा था। सपना अपने पिता अभियुक्त रवि और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मकान सं. 71, ग्राम सभा, सेवक पार्क, उत्तम नगर दिल्ली में रह रही थी। कुलदीप का सपना के साथ प्रेम संबंध हो गया जो रवि और उसके भाइयों के परिवार को स्वीकार नहीं था। दोनों परिवारों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए और शत्रुता इस हद तक बढ़ गई कि न केवल सपना के पिता बल्कि उसके चाचाओं ने भी कुलदीप की हत्या करने की योजना बनाई। इस पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार दिनांक 14 अक्टूबर 2006 को रात लगभग 8:45 बजे जब अभि.सा.2 सन्नी अपने भाई कुलदीप और अपने मौसेरे भाई अभि.सा.3 रूपेश के साथ अपनी कॉलोनी में स्थित बाल्मीकि मंदिर से लौट रहा था और श्याम खन्ना के घर के पास पहुँचा, तो चारों अभियुक्तगण रवि कुमार, करमवीर, राज कुमार और संजय उनके पीछे *गली* से बाहर निकले और अभियुक्त रवि कुमार ने सह-अभियुक्तगण को संबोधित करते हुए कहा कि कुलदीप ने उसकी पुत्री सपना के साथ प्रेम-संबंध के कारण उनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाई है, इसलिए उसे मार दिया जाना चाहिए। इसके बाद, अभियुक्त राज कुमार ने कुलदीप के हाथ पकड़ लिए, जबकि करमवीर ने उसके पैर पकड़ लिए। जब अभि.सा.2 सन्नी और अभि.सा.3 रूपेश ने कुलदीप को बचाने के लिए आगे आने का प्रयास किया, तो अभियुक्त संजय ने उन पर *डंडा* चलाया और उन्हें धमकी दी कि वे कुलदीप को बचाने के लिए

आगे न आएँ। इस बीच, अभियुक्त रवि कुमार, जिसके पास एक बड़ा चाकू *(छुरा)* था, ने कुलदीप के पेट और छाती पर कई बार वार किए। कुलदीप को घायल करने के बाद चारों अभियुक्तगण घटनास्थल से अपने घर की ओर भाग गए।

2. 14 अक्टूबर, 2006 को रात लगभग 9:15 बजे, अशोक बागड़ी के घर के सामने सेवक पार्क में हत्या होने की सूचना मिलने पर, मुख्य कॉन्स्टेबल नेमपाल शर्मा ने डी.डी. सं. 40क दर्ज की और निरीक्षक सुरेश चंद को सूचित किया, जो निरीक्षक आर.एस. चहल के साथ घटनास्थल अर्थात् मकान सं. बी-1, सेवक पार्क, उत्तम नगर के सामने पहुँचे, जहाँ वे अन्य पुलिस अधिकारियों से मिले और उन्हें पता चला कि कुलदीप की हत्या अभियुक्त रवि कुमार, करमवीर, राज कुमार और संजय ने छुरे (*चाकू*) की मदद से की है। *गली और चबूतरे* पर रक्त पड़ा था। एक डंडा और रक्त से सनी हुई मृतक की एक जोड़ी हवाई चप्पल भी घटनास्थल पर पड़ी मिली। पूछताछ से पता चला कि कुलदीप को पंचशील अस्पताल ले जाया गया था। निरीक्षक सुरेश चंद पंचशील अस्पताल गया जहाँ उसे पता चला कि मृतक को उसके भाई सन्नी द्वारा डी.डी.यू. अस्पताल ले जाया गया था। इसके बाद निरीक्षक सुरेश चंद डी.डी.यू. अस्पताल गया जहाँ उसे पता चला कि कुलदीप को मृत घोषित कर दिया गया है। अभि.सा.2 सन्नी अस्पताल में निरीक्षक सुरेश चंद से मिला। निरीक्षक सुरेश चंद

ने उसका बयान प्र.अभि.सा.2/क दर्ज किया जिसके आधार पर रुक्का तैयार किया गया और उसे पुलिस थाना भेजा गया जिसके परिणामस्वरूप भा.दं.सं. की धारा 302/34 के अंतर्गत प्राथमिकी 979/2006 दर्ज की गई।

3. आगे अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि क्षेत्र में भारी आक्रोश था और बहुत भीड़ जमा हो गई थी जो *मारो मारो* चिल्ला रही थी। अभियुक्तगण अपने घर के अंदर छिपे हुए थे। उन्हें उनके घर से गिरफ़्तार किया गया और अभियुक्त रवि कुमार द्वारा दिए गए प्रकटन बयान के अनुसार, उनके घर के पीछे पूजा स्थल पर पानी की टंकी के नीचे से एक छुरा बरामद किया गया। जाँच पूरी करने के बाद, भा.दं.सं. की धारा 302/34 के अंतर्गत अपराध के लिए सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. अपने मामले को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 28 साक्षीगण की परीक्षा की। दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करते समय अभियुक्तगण के सामने सभी बरामद साक्ष्य पेश किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले से इनकार किया और मामले में झूठा फँसाए जाने का आरोप लगाया। यह भी अभिवचन दिया गया कि घटना के दिन शनिवार को वे *काली माता की चौकी* में व्यस्त थे। उस समय पुलिस उनके घर आई और उन्हें पकड़कर इस झूठे मामले में फँसा दिया। हालाँकि, उन्होंने अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्रियों की सावधानीपूर्वक परीक्षा करने के पश्चात्, दिनांक 21 मई, 2011 के आक्षेपित निर्णय तथा दिनांक 6 जून, 2011 के दंडादेश के माध्यम से, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोहिणी, दिल्ली ने सभी अपीलार्थीगण को भा.दं.सं. की धारा 302/34 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराया तथा उन्हें आजीवन कठोर कारावास का दंड सुनाया। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त रवि कुमार को 50,000/- रुपए का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया, जुर्माना अदा न करने पर उसे छह महीने के लिए साधारण कारावास का दंड भोगना होगा, जबकि अभियुक्त करमवीर, राज कुमार तथा संजय को 2,000/- रुपए का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया, जुर्माना अदा न करने पर उन्हें दो सप्ताह की अवधि के लिए साधारण कारावास का दंड भोगना होगा। दोषियों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 428 का लाभ दिया गया।

6. आक्षेपित निर्णय और दंडादेश से व्यथित होकर, अपीलार्थीगण द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

7. हमने अपीलार्थी सं. 1-रवि कुमार के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय वर्मा, अपीलार्थी सं. 2-करमवीर के विद्वान अधिवक्ता श्री के. सिंघल, अपीलार्थी सं. 3-राज कुमार के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक सूद, अपीलार्थी सं. 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेंद्र सेठी और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान

अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील शर्मा को सुना है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

8. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि:

- अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा किए गए 28 साक्षीगण में से कथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण अभि.सा.2 सन्नी, अभि.सा.3 रूपेश, अभि.सा.5 श्याम खन्ना और अभि.सा.6 कृष्ण कुमार हैं। अहम प्रश्न यह है कि क्या तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण अभि.सा.2 और अभि.सा.3 विश्वसनीय और सच्चे हैं? क्या अभि.सा.6 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है या घटना के बाद का साक्षी है या फिर कोई गढ़ा गया साक्षी है और अभि.सा.5 द्वारा दिए गए बयान की विश्वसनीयता क्या है?

- अभि.सा.2 सन्नी मृतक कुलदीप का सगा भाई है, जबकि अभि.सा.3 रूपेश मौसेरा भाई है, अतः दोनों मृतक के निकटतम संबंधी हैं।

- घटनास्थल पर अभि.सा.2 और अभि.सा.3 की उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध है, क्योंकि जब कुलदीप पर अभियुक्तगण द्वारा कथित रूप से हमला किया जा रहा था, तो उनके द्वारा उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

- अभि.सा.3 ने घायल को अस्पताल ले जाने में अभि.सा.2 की कोई मदद नहीं की और न ही वह उसके साथ पंचशील हार्ट एंड मेडिकल सेंटर गया।

- अभि.सा.2 के अनुसार, वह घायल को पंचशील हार्ट एंड मेडिकल सेंटर ले गया, जहाँ चिकित्सक द्वारा जाँच के बाद, कुलदीप को डी.डी.यू. अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। जब वह किसी वाहन की प्रतीक्षा कर रहा था, तो मुख्य कॉन्स्टेबल रूप सिंह के साथ एक लाल रंग की वैन घटनास्थल पर पहुँची और फिर मृतक को डी.डी.यू. अस्पताल ले जाया गया और वह वापस घटनास्थल पर आया। हैरानी की बात है कि यदि यह सत्य भी माना जाए तो भी इस साक्षी ने न तो घटनास्थल पर और न ही पंचशील अस्पताल में जाँच अधिकारी अभि.सा.23 या अभि.सा.28 से मुलाकात की थी, लेकिन अभि.सा.23 के अनुसार, अभि.सा.2 सन्नी उसके डी.डी.यू. अस्पताल पहुँचने के बाद ही इमरजेंसी में पहुँचा था।

- अभि.सा.9 डॉ. आर.के. शर्मा ने गवाही दी कि परिचारकों में से एक मृतक का भाई था, लेकिन इस तथ्य का उल्लेख परीक्षण पत्र प्र.अभि.स,9/क में नहीं मिलता है और न ही दं.प्र.सं. की धारा 161 के

अंतर्गत उसके बयान में है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण सुधार है और इसका कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है।

- अभि.सा.23 निरीक्षक सुरेश चंद ने स्वीकार किया है कि वह रात 9:45 बजे घटनास्थल पर पहुँचा और फिर रात 11:00 बजे पंचशील अस्पताल गया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं मिला। मृतक कुलदीप के चिकित्सा विधिक मामले (एमएलसी) के अनुसार, उसे कॉन्स्टेबल रूप कुमार द्वारा रात 11:50 बजे अस्पताल लाया गया था। अभि.सा.2 की ओर से यह बहुत ही अस्वाभाविक था कि वह घायल भाई के साथ आगे के उपचार के लिए नहीं गया और इसके बजाय उसने कुलदीप की मृत्यु के बारे में उसके परिवार के सदस्यों को सूचित करने के लिए घर वापस जाने का झूठा स्पष्टीकरण दिया।

- अभि.सा.2 के अनुसार, उसके साथ अरुण कुमार भी पंचशील अस्पताल गया था, लेकिन अरुण कुमार की साक्षी के रूप में परीक्षा नहीं की गई।

- अभि.सा.3 के अनुसार, अभि.सा.2 ने उसे घर वापस जाकर अपनी माँ की देखभाल करने के लिए कहा था, इसलिए अभि.सा.2 के लिए घटनास्थल पर वापस आने का कोई अवसर नहीं था, इसलिए पंचशील

अस्पताल में उसकी अनुपलब्धता या घायल भाई के साथ डी.डी.यू. अस्पताल न जाना घटना के समय साक्षी की उपस्थिति पर संदेह पैदा करता है। ये दोनों साक्षीगण मृतक के निकटतम संबंधी हैं और इसलिए उन्होंने स्वयं को घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण होने का दावा किया।

- रुक्का दोपहर करीब डेढ़ बजे भेजा गया, अर्थात् घटना के पाँच घंटे बाद। इस प्रकार, प्राथमिकी दर्ज करने में काफ़ी देरी हो रही है।

- इस तथ्य के बावजूद कि घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा थी, जाँच में किसी भी आम व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था। इससे पता चलता है कि जाँच एकतरफ़ा, पक्षपातपूर्ण और दूषित है।

- अभि.सा.5 श्याम खन्ना और अभि.सा.6 कृष्ण कुमार के परिसाक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, दोनों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

- पी.सी.आर. को दी गई जानकारी के अनुसार सेवक पार्क मेट्रो स्टेशन उत्तम नगर, दिल्ली में झगड़ा हुआ था। पी.सी.आर. को दी गई बाद की जानकारी के अनुसार कुलदीप के साथ झगड़ा हुआ था, जिसमें उस पर चाकू से वार किए गए और उसे पंचशील अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। डॉ. आर.के. शर्मा के

बयान के अनुसार, कुलदीप को सेवक पार्क से कोई व्यक्ति लेकर आया था और उसे मृत घोषित कर दिया गया।

- श्याम खन्ना के घर के सामने कोई घटना नहीं हुई। वास्तव में, मृतक कुलदीप को सेवक पार्क में हुए झगड़े में चाकू से चोटें आईं और उसके बाद किसी व्यक्ति ने उसे अस्पताल पहुँचाया और वहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। यदि उसे अभि.सा.2 सन्नी द्वारा पंचशील हार्ट एंड मेडिकल सेंटर ले जाया जाता तो डॉ. शर्मा द्वारा दिए गए परीक्षण पत्र में इसका उल्लेख मिलता।

- चूँकि अपीलार्थी-रवि और मृतक के परिवार के सदस्यों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे, इसलिए शत्रुता के कारण न केवल अभियुक्त रवि बल्कि उसके भाइयों, जो इस मामले में अपीलार्थीगण हैं, को भी वर्तमान मामले में मिथ्या ढंग से फँसाया गया है।

- राज कुमार को सौंपी गई भूमिका कुलदीप के हाथ पकड़ने की थी, जबकि अभियुक्त करमवीर को सौंपी गई भूमिका उसके पैरों को पकड़ने की थी और अपीलार्थी-संजय की भूमिका यह थी कि उसने मृतक व्यक्ति पर कई बार *डंडे* से प्रहार किए थे और अभि.सा. सन्नी और रूपेश को भी धमकाया था ताकि वे अपने भाई को बचाने के लिए आगे न आएँ।

- इन साक्षीगण द्वारा दिया गया प्रत्यक्षदर्शी विवरण चिकित्सीय साक्ष्य के विपरीत है, क्योंकि शवपरीक्षा रिपोर्ट प्र.अभि.सा.27/क में मृतक के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट किसी डंडे जैसी वस्तु से पहुँची नहीं पाई गई थी तथा चोटें केवल तेज़ धार वाले हथियार से ही पहुँचाई गई थीं।

- कथित तौर पर घटनास्थल पर *डंडा* पाया गया था, जिससे मानव रक्त का सकारात्मक परिणाम मिला, लेकिन रक्त समूह की जानकारी नहीं दी गई, इसलिए यह स्थापित नहीं हुआ कि *डंडे* पर लगा रक्त मृतक का था।

- अभियुक्त संजय के अंगुलियों के निशान को *डंडे* पर अंगुलियों के निशान से मिलान करने के लिए नहीं लिया गया था जिससे यह दर्शाया जा सकता कि इसका उपयोग अभियुक्त संजय द्वारा किया गया था।

- मोदी के मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस और टॉक्सिकोलॉजी का संदर्भ देते हुए प्रस्तुत किया गया कि डंडा, लाठी जैसी कुंद वस्तु से खरोंच, नील या चोट लग सकती है, जो शवपरीक्षा रिपोर्ट में नहीं है। ऐसे में घटना के समय अभियुक्त संजय की उपस्थिति बेहद संदिग्ध है।

- यदि राज कुमार ने मृतक के हाथ पकड़े होते तो उसके कपड़े रक्त से सने होते लेकिन उसके कपड़ों पर रक्त नहीं पाया गया था। इसके अतिरिक्त मृतक की माँ के अनुसार, उसे सूचित किया गया था कि रवि ने उसे चाकू मार दिया था।

- करमवीर को वर्तमान मामले में अभियुक्त रवि का भाई होने के कारण मिथ्या ढंग से फँसाया गया था।

- सभी अभियुक्त व्यक्ति अपने घर में मौजूद थे क्योंकि शनिवार था और अभियुक्त संजय *माता की चौकी* पर आया हुआ था।

- अभियुक्त करमवीर, राज कुमार और संजय का सह-अभियुक्त रवि के साथ कोई साझा इरादा नहीं था।

- यह घटना गंभीर और अचानक उकसावे के कारण हुई थी क्योंकि कुलदीप अपीलार्थी रवि की बेटी को छेड़ता था, उसने इलाके में उसकी तस्वीरें वितरीत की थीं। यहाँ तक कि अपीलार्थी ने अपनी बेटी को उसके मामा के घर भी भेज दिया था, लेकिन कुलदीप ने अपनी हरकतें बंद नहीं कीं। घटना के दिन एक झगड़ा हुआ और आवेश में आकर यह घटना घट गई।

- अपीलार्थी का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद IV के अंतर्गत आता है, क्योंकि अपराध गंभीरता और अचानक उकसावे के अंतर्गत किया गया था और इसलिए अपराध भा.दं.सं. की धारा 302 से भा.दं.सं. की धारा 304(1) में परिवर्तित किए जाने के अधीन है।

9. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियों का खंडन करते हुए राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत किया गया कि:

- यह ऑनर किलिंग का मामला है जैसा कि साक्षीगण ने गवाही दी है कि अभियुक्त रवि के अनुसार कुलदीप के कृत्यों के कारण समाज में उसके सम्मान की हानि हो रही थी। इसलिए, अपराध करने का उद्देश्य एकदम स्पष्ट है।

- अपीलार्थी रवि को अपीलीय चरण में पहली बार गंभीर और अचानक उकसावे का अभिवाक् देने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई अभिवाक् नहीं दिया गया था। बल्कि विचारण न्यायालय के समक्ष, उसका मामला केवल प्रत्याख्यान का मामला था।

- यदि अपीलार्थी अपने मामले को अपवादों के भीतर लाना चाहता है, तो उसके लिए यह साबित करना अनिवार्य होगा कि मामला अपवाद-IV के दायरे में आता है। हालाँकि, परिस्थितियाँ यह नहीं दिखाती हैं कि घटना की तिथि पर कोई उकसावा हुआ था। इसके अतिरिक्त, मामले को अपवाद-IV के अर्थ में लाने के लिए उकसावा गंभीर और अचानक होना चाहिए। अपीलार्थी रवि के मामले के अनुसार, मृतक का उसकी बेटी सपना के साथ प्रेम संबंध था और अपीलार्थी घटना से बहुत पहले से ही उसकी तस्वीरें/पर्चे बाँट रहा था। दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर कोई झगड़ा नहीं हुआ था। बल्कि सभी चार अभियुक्तगण अपने सामान्य आशय को आगे बढ़ाते हुए पूर्व नियोजित ढंग से हथियार लेकर आए और बेहद क्रूरता से काम किया और कुलदीप की छाती और पेट पर सात चोटें पहुँचाई।

- अभियोजन पक्ष के सभी साक्षीगण को यह सुझाव दिया गया कि हत्या कुछ अज्ञात 'व्यक्तियों' द्वारा की गई थी, जिसका अर्थ है कि यह स्वीकार किया गया है कि यह किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, मृतक एक जवान लड़का था जबकि अभियुक्त रवि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। यदि रवि अकेले ही कुलदीप को पकड़ता तो कुलदीप द्वारा उसका विरोध किया जाता और इस प्रक्रिया

में रवि को चोट लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अपीलार्थी रवि को कोई चोट नहीं लगी। यह अभियोजन पक्ष के साक्षीगण के परिसाक्ष्य को आश्वस्त करता है कि सभी चार अभियुक्तगण एक साथ आए थे। अभियुक्त करमवीर ने मृतक के पैरों को पकड़ा, राज कुमार ने उसके हाथों को पकड़ा और उसके बाद जब सन्नी और रूपेश ने अपने भाई को बचाने का प्रयास किया तो उन्हें अभियुक्त संजय ने ऐसा करने से रोक दिया और उसके बाद रवि ने मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों अर्थात् छाती और पेट पर चाकू से वार किए। अभियुक्त संजय द्वारा उस पर डंडे से भी वार किए गए थे, जिसका उल्लेख एमएलसी में किया गया है।

- घटनास्थल से *डंडा* बरामद किया गया था और उस पर मानव रक्त पाया गया था।

- अभियुक्त रवि के प्रकटीकरण पर अपराध का हथियार अर्थात् चाकू बरामद किया गया। उसके रक्त से सने कपड़े भी बरामद किए गए। उन्हें एफ़एसएल भेजा गया और एफ़एसएल की रिपोर्ट के अनुसार, उसमें 'बी' रक्त समूह का मानव रक्त पाया गया जो मृतक का रक्त समूह था।

- घटना का स्थान अभि.सा.2, अभि.सा.3, अभि.सा.5 और अभि.सा.6 के परिसाक्ष्यों से साबित होता है। इसके अतिरिक्त अपराध दल की रिपोर्ट और तस्वीरें भी घटना के स्थान को प्रमाणित करती हैं।

- अपीलार्थी को पी.सी.आर. को भेजी गई जानकारी से कोई लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि यह अभिलेख में आया है कि घटना के बाद क्षेत्र में बहुत तनाव था और घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा था। अभियुक्तगण अपने घर के अंदर थे। अभियुक्तगण में से एक, राज कुमार, जो दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल था, ने पुलिस को ककरौला मेट्रो स्टेशन के पास सेवक पार्क में झगड़े के बारे में एक भ्रामक सूचना भेजी थी, लेकिन घटनास्थल पर पहुँचने पर यह स्पष्ट हो गया कि यह झगड़ा उत्तम नगर के मकान सं. बी-1 सेवक पार्क के सामने हुआ था।

- आक्षेपित निर्णय में ऐसा कोई दोष नहीं है जिसके कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। इस प्रकार अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. हमने पक्षकारगण के लिए विद्वान अधिवक्तागण की संबंधित प्रस्तुतियों पर गहन विचार किया है तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया है।

<u>प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण:</u>

11. अभि.सा.2 सन्नी अभियोजन पक्ष के प्रमुख साक्षीगण में से एक है, जो मृतक कुलदीप कुमार का सगा भाई भी है। इस साक्षी ने प्रकट किया है कि उसके भाई कुलदीप का रवि कुमार की बेटी सपना के साथ प्रेम संबंध था, जो उनके पड़ोस में रहती थी। इस प्रेम संबंध के कारण, रवि कुमार के परिवार की कुलदीप के साथ शत्रुता थी। घटना से लगभग एक महीने पहले, रवि ने अपनी बेटी सपना को कुलदीप से प्यार करने के कारण पीटा था और उसे उसके मामा के घर भेज दिया था। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अर्थात् दिनांक 14 अक्टूबर, 2006 को रात लगभग 8:45 बजे, वह कुलदीप और मौसेरे भाई रूपेश (अभि.सा.3) के साथ बाल्मीकि मंदिर से लौट रहा था, जो उनकी कॉलोनी में स्थित था। कुलदीप उनसे करीब 15-20 कदम आगे चल रहा था। वे उसके पीछे चल रहे थे। जब कुलदीप श्याम खन्ना के घर के पास पहुँचा तो चारों अभियुक्त व्यक्ति रवि कुमार, करमवीर, राज कुमार और संजय उनके पीछे वाली *गली* से निकलकर आए। अभियुक्त रवि कुमार ने अपने सह-अभियुक्तगण को संबोधित करते हुए कहा कि कुलदीप ने उसकी बेटी सपना के साथ प्रेम संबंध के कारण उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया है, इसलिए उसे मार दिया जाना चाहिए। इसके बाद अभियुक्त राज कुमार ने कुलदीप के हाथ पकड़ लिए जबकि करमवीर ने उसके पैर पकड़ लिए। जब अभि.सा.2 सन्नी और अभि.सा.3 रूपेश

ने कुलदीप को बचाने के लिए आगे आने का प्रयास किया तो अभियुक्त संजय ने उन पर *डंडा* चलाया और धमकी दी कि वे कुलदीप को बचाने के लिए आगे न आएँ। इसी बीच अभियुक्त रवि कुमार, जो एक बड़ा चाकू *(छुरा)* लेकर आया था, ने कुलदीप के पेट और छाती पर कई बार वार किए। संजय ने कुलदीप को *डंडे* से कई बार मारा। कुलदीप को घायल करने के पश्चात् चारों अभियुक्तगण घटनास्थल से अपने घर की ओर यह कहते हुए भाग गए कि उसे मार दिया गया।

12. उनके शोर मचाने पर उनके परिवार के सदस्य घटनास्थल पर पहुँच गए। उसकी माँ ने मृतक कुलदीप को हिलाने का प्रयास किया और जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वह उसे पास के पंचशील हार्ट एंड मेडिकल सेंटर ले गया, जहाँ जाँच करने के बाद चिकित्सक ने उसे डी.डी.यू. अस्पताल ले जाने की सलाह दी। उसने काफ़ी समय तक टी.एस.आर. की प्रतीक्षा की, लेकिन कोई भी उस तरफ़ नहीं आया। पुलिस अधिकारी मुख्य कॉन्स्टेबल रूप सिंह के साथ एक लाल रंग की वैन वहाँ आई और उसने कुलदीप को डी.डी.यू. अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब पुलिस अधिकारी उसके भाई कुलदीप को डी.डी.यू. अस्पताल ले गया, तो वह अपने परिवार के सदस्यों को सूचित करने के लिए अपने घर वापस चला गया और फिर वह डी.डी.यू. अस्पताल भी गया जहाँ उसका बयान प्र.अभि.सा.2/क दर्ज किया गया

जिसमें बिंदु ए पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसके बाद, वह पुलिस अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर लौटा और घटना के स्थान की ओर इशारा किया। उसके इंगित करने पर, घटनास्थल का मौका-ए-नक्शा तैयार किया गया था। पुलिस दल ने रक्त के नमूने, रक्त से सनी मिट्टी, मिट्टी, उसके भाई की हवाई चप्पल की एक जोड़ी, अभियुक्त संजय द्वारा घटनास्थल पर छोड़ा गया रक्त से सना *डंडा* एकत्र किया। इसके बाद अभियुक्त व्यक्तियों को उनके घर से गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके प्रकटन बयान प्र.अभि.सा.2/ट से प्र.अभि.सा.2/ढ तक दर्ज किए गए। अभियुक्त रवि कुमार के बताने पर उसके घर के पीछे पूजा स्थल पर पानी की टंकी के नीचे से एक चाकू बरामद किया गया। चाकू का रेखाचित्र प्र.अभि.सा.2/ण तैयार किया गया था जिसे ज़ब्त कर लिया गया। पुलिस ने अभियुक्त व्यक्तियों के रक्त से सने कपड़ों को ज़ब्त कर लिया। कुछ दिनों के बाद, उसकी उपस्थिति में पैमानित मौका-ए-नक्शा तैयार किया गया। पुलिस ने उसके कपड़े भी ज़ब्त कर लिए थे। उसने आगे गवाही दी कि अभियुक्त व्यक्ति अपने घर भाग गए थे और परिवार के सदस्य द्वारा उन्हें अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई थी, वास्तव में, घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई थी।

13. अभि.सा.3 रूपेश मृतक का मौसेरा भाई है और उसने अभि.सा.2 सन्नी के बयान की संपुष्टि करते हुए गवाही दी कि दिनांक 14 अक्टूबर 2006

को वह रात लगभग 8:30 बजे अपनी मासी के घर गया था। वह अपने मौसेरे भाई कुलदीप और सन्नी के साथ बाल्मीकि मंदिर गया था। जब वे मंदिर से लौट रहे थे, तो कुलदीप उनसे लगभग 20 कदम आगे चल रहा था। जब वे श्याम खन्ना के घर के पास पहुँचे तो चारों अभियुक्त राज कुमार, रवि कुमार, करमवीर और संजय उनके पीछे वाली *गली* से बाहर आए। अभियुक्त रवि ने कहा कि कुलदीप ने उसकी बेटी के साथ संबंध बनाकर उनकी बदनामी की है, इसलिए उसे मार दिया जाना चाहिए। अभियुक्त राज कुमार ने उसके हाथ पकड़ लिए, करमवीर ने उसके पैर पकड़ लिए और अभियुक्त संजय ने उसकी छाती पर *डंडे* से मारा था। अभियुक्त रवि कुमार ने कुलदीप के पेट और छाती पर चाकू से वार किए। जब उन्होंने शोर मचाया तो संजय ने *डंडा* चलाकर उन्हें धमकाया और कहा कि उन पर भी इसी तरह हमला किया जाएगा। उनके शोर मचाने पर सभी अभियुक्त *डंडा* छोड़कर भाग गए और रवि चाकू सहित भाग गया। इसी बीच उसकी मासी प्रेमलता भी वहाँ पहुँच गई और कुलदीप को देखकर बेहोश हो गई। सन्नी कुलदीप को उठाकर पंचशील अस्पताल ले गया। उसने अपनी मासी को उठाया और उसे उसके घर ले गया। इसके बाद वह पंचशील अस्पताल भी गया जहाँ उसे सन्नी ने बताया कि चिकित्सक ने सलाह दी है कि कुलदीप को घर ले जाया जाए क्योंकि वह जीवित नहीं बचा है। हालाँकि, सन्नी चिकित्सकीय सलाह से संतुष्ट नहीं था और उसे डी.डी.यू. अस्पताल ले जाना चाहता था। उसने घायल को डी.डी.यू. अस्पताल ले जाने के

लिए किसी वाहन की प्रतीक्षा की। इसी बीच पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने एक वैन को रोका और कुलदीप को डी.डी.यू. अस्पताल ले गए। सन्नी ने उसे सलाह दी कि वह उसकी माँ का ध्यान रखे क्योंकि वह डी.डी.यू. अस्पताल जा रहा था। फिर वह अपनी मासी के घर पहुँचा। भीड़ जमा हो गई थी और पुलिस भी घटनास्थल पर पहुँच गई थी। रात को लगभग 2:00 बजे सन्नी पुलिस अधिकारियों के साथ घर लौट आया। उसने पुलिस को घटनास्थल दिखाया और उसके कहने अनुसार मौका-ए-नक्शा तैयार किया गया। पुलिस अधिकारियों ने रक्त, रक्त से सनी मिट्टी, मिट्टी, मृतक कुलदीप की एक जोड़ी हवाई चप्पल तथा एक डंडा ज़ब्त किया और फ़र्द मकबूज़गी तैयार किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर भी हैं। इसके बाद पुलिस अधिकारी अभियुक्त व्यक्तियों के घर गए और पूछताछ के बाद अभियुक्त रवि कुमार के घर के पीछे की तरफ़ बने पूजा स्थल की पानी की टंकी के नीचे से चाकू बरामद किया। जाँच अधिकारी ने सभी अभियुक्तगण के कपड़े भी उतरवा लिए, जिन्हें मुहर लगाकर अलग से कपड़े के पुलिंदे में रख लिया गया।

14. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अभि.सा.2 सन्नी और अभि.सा.3 रूपेश के परिसाक्ष्य को मूल रूप से दो आधारों पर चुनौती दी:-

क. वे मृतक से निकटतम संबंधी हैं और इसलिए हितबद्ध साक्षीगण भी हैं;

ख. वे ईमानदार और विश्वसनीय साक्षीगण नहीं हैं।

15. जहाँ तक तर्क के पहले भाग का संबंध है, यह विवादित नहीं है कि अभि.सा.2 सन्नी मृतक कुलदीप का सगा भाई था और अभि.सा.3 रूपेश मृतक कुलदीप का मौसेरा भाई था। हालाँकि, केवल संबंध साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऐसा अक्सर होता है कि कोई संबंधी वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाता और निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगा देता है। यह एक सुस्थापित विधिक प्रतिपादना है कि संबंधी साक्षी के साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है यदि इसमें सत्य निहित है और यह ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद है। हालाँकि, इस तरह के साक्ष्य पर कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले इसकी सावधानीपूर्वक समीक्षा और विवेचना की जानी चाहिए। लेकिन साक्ष्य पर केवल इस आधार पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि साक्षी मृतक के संबंधी हैं।

16. ***शनमुगम एवं अन्य बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक, टी. नाडु द्वारा,*** *(2013) 12 एस.सी.सी. 765* में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पीड़ित के संबंधियों के साक्ष्य की विश्वसनीयता के पहलू पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया था:

> *"12. .....साक्षीगण के वर्गीकरण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उनके साक्ष्य की विवेचना का प्रश्न है। इस तरह की किसी भी विवेचना का मर्म यह निर्धारित करना है कि घटना के लिए साक्षी की गवाही सच्ची है या नहीं, इस*

प्रकार स्वीकार्य है या नहीं। ऐसा करते समय, न्यायालय यह मान सकता है कि एक संबंधी साक्षी सामान्यतः किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाने के लिए वास्तविक अपराधी को नहीं बचाएगा। ऐसे मामलों में जहाँ साक्षी अभियुक्त के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखता है, न्यायालयों ने निस्संदेह कई बार निर्दोष व्यक्ति को भी फँसाने की प्रवृत्ति देखी है, लेकिन न्यायालय द्वारा ऐसे साक्षी के बयान को अस्वीकार करने से पहले अभियुक्त को इस तर्क के लिए आधार तैयार करना होगा कि उसका झूठा फँसाया जाना ऐसी शत्रुता से उपजा है। केवल यह तथ्य कि साक्षी अभियुक्त का संबंधी था, वह आधार प्रदान नहीं करता। इसके विपरीत, न्यायालय के लिए यह मानना एक परिस्थिति हो जाएगी कि साक्षी का बयान इस साधारण तर्क के आधार पर सत्य है कि ऐसा साक्षी किसी निर्दोष को झूठे मामले में फँसाने के लिए वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाएगा। इतना कहना पर्याप्त है कि साक्षीगण के साक्ष्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया, चाहे वे पक्षपातपूर्ण हों या हितबद्ध (यह मानते हुए कि दोनों में अंतर है), प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर सामान्य मानवीय आचरण, पूर्वाग्रहों और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए।

*13. ऐसे मामलों में न्यायालय को जो दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, उसकी परीक्षा इस न्यायालय ने कई मामलों में की है, जिसका संदर्भ अनावश्यक है, सिवाय कुछ मामलों के जो पर्याप्त होने चाहिए। **दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य** ए.आई.आर. 1953 एस.सी. 354 में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की:*

26. एक साक्षी को आम तौर पर स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से न आए जो दागी होने की संभावना रखते हैं और इसका अर्थ आम तौर पर यह होता है कि जब तक साक्षी के पास अभियुक्त के विरुद्ध शत्रुता जैसे कारण न हों, जिससे वह उसे झूठा फँसाना चाहे। आम तौर पर, एक निकटतम संबंधी वास्तविक अपराधी को छिपाने और एक निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाने वाला आखिरी व्यक्ति होता है। यह सच है, जब भावनाएँ प्रबल होती हैं और शत्रुता के लिए व्यक्तिगत कारण होते हैं, तो एक निर्दोष व्यक्ति, जिससे गवाह की शत्रुता होती है, को दोषी के साथ घसीटने की प्रवृत्ति हो सकती है लेकिन ऐसी आलोचना के लिए आधार बनाया जाना चाहिए और केवल संबंधी होने का तथ्य आधार होने से बहुत दूर अक्सर सत्य की निश्चित गारंटी होती है। हालाँकि, हम कोई व्यापक सामान्यीकरण करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मामले का न्याय उसके अपने तथ्यों के

आधार पर किया जाना चाहिए। हमारे अवलोकन केवल उन बातों का मुकाबला करने के लिए किए गए हैं जो अक्सर हमारे सामने मामलों में विवेक के सामान्य नियम के रूप में सामने रखी जाती हैं। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। प्रत्येक मामले को अपने तथ्यों तक सीमित रखना चाहिए और उनके द्वारा शासित होना चाहिए।"

17. ***नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य,*** (2007) 14 एस.सी.सी. 150 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक निकटतम संबंधी को "हितबद्ध" साक्षी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में सावधानी का एकमात्र नियम यह है कि ऐसे साक्षी के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जानी चाहिए। यदि इस तरह की समीक्षा पर, उसका साक्ष्य विश्वसनीय, स्वाभाविक रूप से संभावित और पूरी तरह से भरोसेमंद पाया जाता है, तो दोषसिद्धि 'मात्र' ऐसे साक्षी के परिसाक्ष्य पर भी आधारित हो सकती है।

18. ***गंगाभवानी बनाम रायपति वेंकट रेड्डी और अन्य,*** ए.आई.आर. 2013 एस.सी. 3681 में, उच्चतम न्यायालय ने संबंधित साक्षीगण के साक्ष्य के संबंध में अपने पूर्व के निर्णयों में न्यायालय द्वारा उठाई गई विधिक प्रतिपादना पर चर्चा की और अभिनिर्धारित किया:

"14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह सुरक्षित रूप से अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि वास्तविक साक्षीगण को हितबद्ध साक्षीगण के रूप में संदर्भित नहीं किया जा सकता है। हितबद्ध साक्षीगण वे होते हैं जो मुकदमे/मामले से कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। यदि परिस्थितियों से यह पता चलता है कि कोई साक्षी घटना स्थल पर उपस्थित था और अपराध का

साक्षी था, तो उसकी गवाही को केवल पीड़ित/मृतक से निकटतम संबंधी होने के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।"

19. ***गाजू बनाम उत्तराखंड राज्य*** *(2012) 9 एस.सी.सी. 532* में, यह टिप्पणी की गई कि:

"13. इसी तरह का विचार इस न्यायालय ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाम एस. रायप्पा और अन्य (2006) 4 एस.सी.सी. 512 के मामले में लिया था। न्यायालय ने टिप्पणी की कि अब यह लगभग एक फ़ैशन बन गया है कि जनता न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और गवाही देने से कतराती है, विशेष तौर पर आपराधिक मामलों में और इसी कारण से मामले सालों-साल खिंचते रहते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि, "अब तक, यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत बन चुका है कि किसी साक्षी का परिसाक्ष्य जो अन्यथा विश्वास को प्रेरित करता है, उसे इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वह मृतक का संबंधी होने के कारण एक हितबद्ध साक्षी है। एक निकटतम संबंधी जो एक बहुत ही स्वाभाविक साक्षी है, उसे हितबद्ध साक्षी नहीं कहा जा सकता। हितबद्ध शब्द का तात्पर्य यह है कि संबंधित व्यक्ति को अभियुक्त व्यक्ति को किसी न किसी तरह से दोषी ठहराए जाने में कुछ प्रत्यक्ष हित होना चाहिए, चाहे वह शत्रुता के कारण हो या किसी अन्य कारण से।"

20. उपरोक्त विधिक सिद्धांतों की कसौटी पर कसते हुए, यह कहना पर्याप्त होगा कि केवल इसलिए कि अभि.सा.2 सन्नी और अभि.सा.3 रूपेश मृतक के निकटतम संबंधी हैं, उनकी विश्वसनीयता पर संदेह करना पर्याप्त नहीं है। वास्तव में, वे निकटतम संबंधी होने के कारण असली अपराधी को बरी नहीं होने देंगे और अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाकर उन्हें इस तरह के

जघन्य अपराध में फँसाने का प्रयास नहीं करेंगे। सावधानी का एकमात्र नियम यह है कि ऐसे संबंधित साक्षीगण का परिसाक्ष्य विश्वसनीय, भरोसेमंद और अन्य साक्ष्यों द्वारा विधिवत पुष्टि किया जाना चाहिए। एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि उनकी गवाही ठोस हैं, विश्वास जगाती हैं, किसी भी भौतिक विरोधाभास से ग्रस्त नहीं हैं और उपरोक्त विधिक सिद्धांतों के अनुरूप हैं, तो न्यायालय द्वारा ऐसे मूल्यवान साक्ष्य पर भरोसा करना न्यायसंगत होगा।

21. तर्क के दूसरे भाग पर आते हुए, कि अभि.सा.-2 और अभि.सा.-3 के परिसाक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं हैं, क्योंकि वे घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण नहीं थे, इन दोनों साक्षीगण की लंबी प्रति-परीक्षा की गई, तथापि, कुछ मामूली विरोधाभासों को छोड़कर, उनके परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय मानने के लिए कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आ सके।

22. सामान्य धारणा और अवलोकन की त्रुटियों, समय बीतने के कारण स्मृति की त्रुटियों, घटना के समय सदमे और भय के कारण मानसिक स्थिति के कारण छोटी-मोटी विसंगतियाँ होना स्वाभाविक है। वास्तव में ऐसी विसंगतियाँ अपरिहार्य हैं। ऐसी छोटी-मोटी विसंगतियाँ केवल उनके बयान की सत्यता को बढ़ाती हैं। दूसरी ओर, यदि ये साक्षीगण यांत्रिक सटीकता के साथ साक्ष्य देते हैं, तो यह माना जा सकता है कि वे रटे-रटाए बयान दे रहे थे। प्रश्न

यह है कि क्या साक्षीगण के बयान में अलंकरण अभियोजन पक्ष की कहानी के मूल को नष्ट कर सकता है।

23. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***बख्शीश सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य,*** (2013) 12 एस.सी.सी. 187 में विरोधाभासों और अलंकरणों की प्रयोज्यता पर विचार किया:

> *"31. इस न्यायालय ने कई मामलों में पाया कि मामूली असंगत बयान/विसंगतियाँ ज़रूरी नहीं कि अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी को ध्वस्त कर दें, यदि यह अन्यथा विश्वसनीय पाया जाता है। **संपत कुमार बनाम पुलिस निरीक्षक** (2012) 4 एस.सी.सी. 124 में, इस न्यायालय ने कई पुराने निर्णयों की समीक्षा करने के बाद **नारायण चेतनराम चौधरी बनाम महाराष्ट्र राज्य** (2000) 8 एस.सी.सी. 457 में की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:*
>
> > *"21.....42. केवल ऐसी चूकें जो महत्वपूर्ण विवरणों में विरोधाभास को दर्शाती हैं, साक्षी के परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय मानने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। पुलिस के बयान में चूक अपने आप में ज़रूरी नहीं कि साक्ष्य के परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय बना दे। जब न्यायालय में साक्षी द्वारा दिया गया बयान महत्वपूर्ण विवरणों में उसके पहले के बयानों से अलग होता है, तो अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध हो जाता है, अन्यथा नहीं। सच्चे साक्षीगण के बयानों में छोटे-मोटे विरोधाभास आना स्वाभाविक है क्योंकि कई बार स्मृति गलत हो जाती है और हर व्यक्ति के अवलोकन की भावना अलग-अलग होती है।"*

24. ***रोहताश कुमार बनाम हरियाणा राज्य***, (2013) 14 एस.सी.सी. 434 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने गवाही में विसंगतियों के मुद्दे पर विचार किया:

"24. यह एक सुस्थापित विधिक प्रतिपादना है कि साक्षी के साक्ष्य की विवेचना करते समय, अभियोजन पक्ष के मामले के मूल को प्रभावित न करने वाले तुच्छ मामलों पर छोटी-मोटी विसंगतियों के कारण न्यायालय को साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज नहीं करना चाहिए। इसलिए, अप्रासंगिक विवरण जो किसी भी तरह से साक्षी की विश्वसनीयता को कम नहीं करते हैं, उन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया जाना चाहिए। न्यायालय को यह परीक्षा करनी होगी कि क्या साक्ष्य को समग्र रूप से पढ़ने पर लगता है कि उसमें सच्चाई है। एक बार जब यह धारणा बन जाती है, तो निस्संदेह न्यायालय के लिए साक्ष्य की समीक्षा करना आवश्यक है, विशेष रूप से साक्ष्य में बताई गई कमियों, त्रुटियों और दोषों को ध्यान में रखते हुए और उनका मूल्यांकन करके यह पता लगाना कि क्या यह साक्षीगण द्वारा दिए गए साक्ष्य के सामान्य स्वरूप के विरुद्ध है और क्या साक्ष्य के पहले का मूल्यांकन दोषपूर्ण है, जिससे यह विश्वास करने योग्य न हो। इस प्रकार, न्यायालय को उन चूकों, विरोधाभासों और विसंगतियों को अनावश्यक महत्व नहीं देना चाहिए जो मामले के मूल में नहीं जाते हैं, और अभियोजन पक्ष के साक्षी के मूल बयान को विचलित करते हैं।"

25. ***उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश,*** (2011) 4 एस.सी.सी. 324 में, उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले के कई निर्णयों पर विचार करने के बाद अभिनिर्धारित किया:

"30. सभी आपराधिक मामलों में, सामान्य अवलोकन त्रुटियों के कारण, जैसे समय बीतने के कारण स्मृति की त्रुटियाँ या घटना के समय सदमे और भय जैसी मानसिक प्रवृत्ति के कारण, साक्षीगण की गवाही में सामान्य विसंगतियाँ होती हैं। जहाँ चूक विरोधाभास के बराबर होती है, साक्षी की सत्यता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है और अन्य साक्षीगण भी न्यायालय में गवाही देते समय महत्वपूर्ण सुधार करते हैं, ऐसे साक्ष्य पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं हो सकता है। हालाँकि, मामूली विरोधाभास, असंगतता, अलंकरण या तुच्छ मामलों पर सुधार जो अभियोजन पक्ष के मामले के मूल को प्रभावित नहीं करते हैं, उन्हें ऐसा आधार नहीं बनाया जाना चाहिए जिस पर साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज किया जा सके। न्यायालय को साक्षी की विश्वसनीयता

के बारे में अपनी राय बनानी होगी और यह निष्कर्ष दर्ज करना होगा कि क्या उसकी गवाही विश्वास पैदा करता है।

अतिशयोक्ति अपने आप में साक्ष्य को दुर्बल नहीं बनाती। लेकिन यह अभियोजन पक्ष के बयान की विश्वसनीयता को परखने के कारकों में से एक हो सकता है, जब पूरे साक्ष्य को विश्वसनीयता की कसौटी पर परखने के लिए एक भट्टी में रखा जाता है।

इसलिए, साक्षी के बयानों में मामूली अंतर को सुधार नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह साक्षी द्वारा पहले दिए गए बयान का विस्तार हो सकता है। ऐसी चूकें जो महत्वपूर्ण विवरणों में विरोधाभास पैदा करती हैं अर्थात् मामले की जड़ तक जाती हैं/अभियोजन पक्ष के विचारण या मामले के मूल को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, साक्षी के परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय बनाने के योग्य बनाती हैं।"

26. ***तहसीलदार सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,*** ए.आई.आर. 1959 एस.सी. 1012; ***पुधु राजा एवं अन्य बनाम राज्य, पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व,*** जे.टी. 2012(9) एस.सी. 252; ***लाल बहादुर बनाम राज्य* (रा.रा.क्षे. दिल्ली),** (2013) 4 एस.सी.सी. 557; ***उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम.के. एंथनी,*** ए.आई.आर. 1985 एस.सी. 48; ***पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य प्रतिनिधित्व बनाम सरवनन एवं अन्य,*** ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 152; और ***विजय उर्फ़ चीनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य,*** (2010) 8 एस.सी.सी. 191 में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण दोहराया गया है।

27. उपरोक्त विधिक प्रतिपादना को ध्यान में रखते हुए, साक्षीगण के परिसाक्ष्य में दिखाई देने वाले छोटे-मोटे विरोधाभास अभियोजन पक्ष के मामले

के मूल को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करते हैं और न ही साक्षीगण के परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय बनाने के योग्य बनाते हैं।

28. इसके अतिरिक्त घटना के समय घटनास्थल पर अभि.सा.2 और अभि.सा.3 की उपस्थिति न केवल उनके प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्य से बल्कि अभिलेख पर आए परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी स्थापित होती है। अभि.सा.-2 के अनुसार, अभियुक्त रवि कुमार द्वारा चाकू मारे जाने के बाद कुलदीप गिर गया, उसने और रूपेश ने उसे होश में लाने का प्रयास किया जबकि सभी अभियुक्तगण घटनास्थल से भाग गए। रूपेश कुलदीप को अस्पताल ले जाने के लिए टी.एस.आर. लाने के लिए घटनास्थल से भाग गया लेकिन चूँकि कोई वाहन उपलब्ध नहीं था, इसलिए अभि.सा.-2 ने बिना समय बर्बाद किए कुलदीप को शारीरिक रूप से उठाकर पंचशील अस्पताल पहुँचाया जो घटना स्थल से लगभग 100 मीटर दूर था। यह तथ्य कि कुलदीप को सन्नी द्वारा पंचशील अस्पताल लाया गया था, डॉ आर.के. शर्मा (अभि.सा.-9) के परिसाक्ष्य से संपुष्ट होता है जिसने गवाही दी है कि मृतक कुलदीप का भाई उसे अस्पताल लेकर आया था और इस तथ्य के बावजूद कि उसने कुलदीप को मृत घोषित कर दिया था, उसके भाई ने ज़ोर देकर कहा कि कुलदीप का पूरी तरह से परीक्षण किया जाना चाहिए, जिसके कारण उसने उसे कुलदीप को डी.डी.यू. अस्पताल ले जाने की सलाह दी।

29. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कुलदीप को उसके भाई द्वारा अस्पताल लाए जाने का तथ्य चिकित्सक द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र अभि.सा.-9/क में या पुलिस द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए उसके बयान में नहीं है, इस प्रकार यह साक्षी के परिसाक्ष्य में एक महत्वपूर्ण सुधार था। हालाँकि यह सत्य है कि प्रमाण पत्र प्र.अभि.सा.9/क में, यह विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि कुलदीप को उसके भाई द्वारा अस्पताल लाया गया था, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि इस संबंध में डॉ. आर.के. शर्मा के परिसाक्ष्य को अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी गई है। उसका ध्यान न तो प्रमाण पत्र प्र.अभि.सा.9/क की ओर आकर्षित किया गया और न ही उसके द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए बयान की ओर। वास्तव में, किसी भी अभियुक्त ने इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करना पसंद नहीं किया। इन परिस्थितियों में इस साक्षी के परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह पूरी तरह से स्वतंत्र साक्षी है जो न तो परिवादी पक्ष से संबंधित है और न ही अभियुक्त के साथ किसी भी तरह के शत्रुतापूर्ण संबंध रखता है।

30. डॉ. आर.के. शर्मा और सन्नी के परिसाक्ष्य की संपुष्टि कॉन्स्टेबल रूप सिंह (अभि.सा.-15) के परिसाक्ष्य से भी होती है, जो पी.सी.आर. से सूचना मिलने पर घटनास्थल पर गया था, लेकिन उसे पता चला कि घायल को

पंचशील अस्पताल ले जाया गया था। जब वह पंचशील अस्पताल पहुँचा तो उसकी मुलाकात सन्नी से हुई जो कुलदीप को डी.डी.यू. अस्पताल ले जाना चाहता था। चूँकि कोई वाहन नहीं मिला तो उन्होंने कई वाहनों को रोकने का प्रयास किया। अंततः वह एक निजी वैन को रोकने में कामयाब रहा जो मृतक को डी.डी.यू. अस्पताल ले गई लेकिन सन्नी उस समय उसके साथ नहीं गया।

31. जाँच अधिकारी निरीक्षक सुरेश चंद (अभि.सा.23) ने भी डॉ. आर.के. शर्मा के परिसाक्ष्य की संपुष्टि इस हद तक की है कि उसे डॉ. आर.के. शर्मा ने बताया था कि मृतक का भाई सन्नी उसे अस्पताल लेकर आया था। इसके अतिरिक्त, अभि.सा.2 के अनुसार, अपने घायल भाई को अस्पताल ले जाते समय उसके कपड़े रक्त से सन गए थे। उसके परिसाक्ष्य के इस भाग की संपुष्टि एफ़एसएल परिणाम से होती है, जिसमें इस साक्षी के कपड़ों पर 'बी' रक्ता समूह के मानव रक्त का सकारात्मक परिणाम मिला है, जो मृतक का रक्त समूह है।

32. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि साक्षी के बयान में यह आया है कि जब सन्नी अपने भाई को अस्पताल ले गया था, उस समय एक अरूण ने घायल को पंचशील अस्पताल ले जाने में उसकी सहायता की थी, हालाँकि, उक्त अरूण को न तो साक्षी के रूप में उद्धृत किया गया था और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी परीक्षा की गई थी। केवल अरूण से प्रतिपरीक्षा

न करने का कोई परिणाम नहीं है क्योंकि यह नियम निर्धारित करना अनुचित होगा कि प्रत्येक साक्षी की परीक्षा की जानी चाहिए, भले ही उनका साक्ष्य महत्वपूर्ण न हो। ***नामदेव (पूर्वोक्त)*** में, यह निर्धारित किया गया है कि भारतीय विधिक प्रणाली साक्षीगण की बहुलता पर ज़ोर नहीं देती है। न तो साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 के अंतर्गत विधायिका और न ही न्यायपालिका यह आदेश देती है कि अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि का आदेश दर्ज करने के लिए साक्षीगण की एक विशेष संख्या होनी चाहिए। हमारी विधिक प्रणाली ने साक्षीगण की मात्रा, बहुलता या अनेकता के बजाय हमेशा साक्ष्य के मूल्य, महत्ता और गुणवत्ता पर ज़ोर दिया है।

33. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह प्रस्तुत किया है कि सन्नी के परिसाक्ष्य से पता चलता है कि जब मृतक कुलदीप को डी.डी.यू अस्पताल ले जाया जा रहा था तो वह अपने परिवार के सदस्यों को सूचित करने के लिए अपने घर वापस चला गया था, जो कि दी गई परिस्थितियों में एक अप्राकृतिक आचरण था और इस प्रकार उसका अभिवाक् केवल डी.डी.यू. अस्पताल, जब मृतक को पुलिस द्वारा डी.डी.यू. अस्पताल ले जाया गया था, में उसकी अनुपस्थिति को उचित ठहराने के लिए एक बाद में सोचा गया विचार है। यह प्रस्तुति भी फिर से गुणागुण रहित है क्योंकि घटना का स्थान पंचशील अस्पताल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है और मृतक का घर पंचशील

अस्पताल से लगभग 150 मीटर की दूरी पर स्थित है जिसका अर्थ है कि अस्पताल से मृतक का घर पैदल दूरी पर था। जब डॉ. आर.के. शर्मा ने कुलदीप को मृत घोषित कर दिया था और जब उसके शव को डी.डी.यू. अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब सन्नी ने अपने परिवार के सदस्यों को सूचित करने के लिए वापस जाने का निर्णय लिया था। यह अभिलेख में आया है कि जब सन्नी अपने भाई के साथ घटनास्थल से चला गया था, तो उसकी माँ जो पहले ही घटनास्थल पर पहुँच चुकी थी, अपने बेटे कुलदीप की हालत देखकर बेहोश हो गई थी, जिस पर सन्नी ने अपने मौसेरे भाई रूपेश को अपनी माँ को घर ले जाने के लिए कहा था। इस पृष्ठभूमि में, जब डॉ. आर.के. शर्मा ने कुलदीप को मृत घोषित कर दिया और जब इसकी पुष्टि के लिए कुलदीप के शव को डी.डी.यू. अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब यदि सन्नी अपने परिवार के सदस्यों को कुलदीप की मृत्यु के बारे में सूचित करने के लिए अपने घर गया, तो इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। इसके बाद वह डी.डी.यू. अस्पताल पहुँचा और निरीक्षक सुरेश चंद से मिला जिसने उसका बयान दर्ज किया जिसमें उसने पूरी घटना और प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका का विस्तृत विवरण दिया। इस परिदृश्य में, घटना के समय घटनास्थल पर सन्नी की उपस्थिति और घटना के साक्षी होने पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, जो प्राथमिकी दर्ज करने का आधार बना है।

34. रूपेश के परिसाक्ष्य को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि वह न तो मृतक के साथ पंचशील अस्पताल गया था और न ही डी.डी.यू. अस्पताल गया था। यहाँ भी एक वैध स्पष्टीकरण सामने आ रहा है। मृतक का घर घटनास्थल से सटा हुआ था और अभियुक्तगण और मृतक दोनों पड़ोसी थे। शोर सुनकर, मृतक की माँ और बहन घटनास्थल पर आ गईं। मृतक कुलदीप की माँ अपने बेटे का शव देखकर बेहोश हो गई। कोई वाहन उपलब्ध न होने पर सन्नी ने कुलदीप को पंचशील अस्पताल पहुँचाया और रूपेश को निर्देश दिया कि वह उसकी माँ को घर ले जाए और उसकी देखभाल करे, क्योंकि वह बेहोश हो गई थी। इस प्रकार, मात्र यह तथ्य कि रूपेश सन्नी के साथ पंचशील अस्पताल नहीं गया था, घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति या घटना के साक्षी होने के संबध में कोई संदेह पैदा नहीं करता है। इसलिए अभि.सा.2 सन्नी और अभि.सा.3 रूपेश के परिसाक्ष्य ठोस, सुसंगत और सत्य हैं। उनके द्वारा बताए गए तथ्य सुसंगत पाए गए हैं। उनके परिसाक्ष्य में मामले के आधार को प्रभावित करने वाला कोई अंतर्निहित दोष नहीं पाया गया। उन्होंने घटनाओं के अनुक्रम को एक सुसंगत ढंग से पेश किया है। घटनाओं का सही विवरण साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वे विश्वसनीय साक्षीगण हैं और उनके परिसाक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण का उत्तरदायित्व न्यायनिर्णीत किया जा सकता है।

35. जहाँ तक अभि.सा.5 और 6 के परिसाक्ष्य का संबंध है, अभि.सा.-5 श्याम खन्ना ने गवाही दी है कि दिनांक 14 अक्टूबर, 2006 को वह अपने घर पर मौजूद था। रात लगभग 8 बजे *गली* से हंगामा और *मार गए-मार गए* का शोर सुनकर, वह अपने घर के बाहर सड़क पर चला गया, जहाँ उसने 10-15 व्यक्तियों की भीड़ देखी। कुलदीप भूमि पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। उसकी बहन और माँ उसके पास बैठी थीं। वह कुछ देर तक घटनास्थल पर ही रहा। उसने ऐसा भयावह दृश्य कभी नहीं देखा था। वह अपने घर वापस चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुँची जब मृतक को कुलदीप का छोटा भाई सन्नी अस्पताल ले गया था। उसके घर के बाहर बने चबूतरे पर कुछ रक्त गिरा हुआ था। जब पुलिस आई तो उसने उस चबूतरे से और *गली* से भी रक्त एकत्र किया। पुलिस द्वारा उसे कार्यवाही में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। साक्षी ने सभी महत्वपूर्ण विवरणों में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और इस तरह, राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की गई और प्रतिपरीक्षा में, उसने स्वीकार किया कि सभी चार अभियुक्तगण मकान सं. 71, ग्राम सभा, सेवक पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली के निवासी हैं। उसके अनुसार, उसने सन्नी को तब देखा था जब उसने कुलदीप को उठाया और अस्पताल ले गया। हालाँकि, उसने उस समय रूपेश को नहीं देखा था।

36. अभि.सा.6, कृष्ण कुमार मृतक कुलदीप का चचेरा भाई है। उसने बयान दिया कि दिनांक 14 अक्टूबर, 2006 को रात लगभग 8:45 बजे वह अपने घर पर मौजूद था। *बचाओ बचाओ* का शोर सुनकर वह अपने घर से बाहर आया और देखा कि भीड़ जमा हो चुकी थी। कुलदीप उसके घर और श्याम खन्ना के घर के सामने भूमि पर पड़ा हुआ था। उसने चारों अभियुक्तगण को अपने घर की ओर भागते देखा। अभियुक्त रवि अपने हाथ में एक लंबा चाकू लिए हुए था और वे घटनास्थल पर *डंडा* छोड़कर चले गए थे। उसने आगे बयान दिया कि उसने अभियुक्त रवि को कुलदीप को चाकू मारते देखा था, जबकि अभियुक्त राज कुमार और करमवीर ने उसे जकड़ा हुआ था। अभियुक्त संजय हाथ में *डंडा* लिए घटनास्थल पर खड़ा था। कुलदीप की माँ, बहन और भाई चिल्ला रहे थे। सन्नी कुलदीप को पंचशील अस्पताल ले गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुँची और चारों अभियुक्त व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को पुलिस थाने ले गई। इस साक्षी ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया, इस प्रकार राज्य के विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की गई और प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि जब वह घटनास्थल से भाग रहा था तो संजय कुलदीप के पास अपना बांस का डंडा छोड़ गया था। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा में उसने बयान दिया कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा तो कुलदीप की माँ, बहन और भाई उसके साथ उपस्थित थे। वह घटनास्थल पर पहुँचने वाला चौथा व्यक्ति था।

उसने आगे गवाही दी कि दिनांक 10 नवंबर, 2006 को पुलिस अधिकारियों द्वारा उसके घर पर उसका बयान दर्ज किया गया था। घटना वाले दिन पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछताछ की थी लेकिन उसने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया था क्योंकि अभियुक्तगण उसके निकटतम पड़ोसी हैं।

37. इन दोनों साक्षीगण के परिसाक्ष्यों को अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा चुनौती दी गई है, क्योंकि उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। यह स्थापित विधि है कि मात्र यह तथ्य कि साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है, अपने आप में उसके साक्ष्य को *पूरी तरह* से अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य पर कम से कम उस हद तक भरोसा किया जा सकता है जब तक कि यह अभियोजन के मामले का समर्थन करता है।

38. ***सत्य नारायणन बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक द्वारा,*** (2012) 12 एस.सी.सी. 627 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***मृणाल दास एवं अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य,*** (2011) 9 एस.सी.सी. 479 में दिए गए अपने पहले के निर्णय का संदर्भ दिया, जिसमें अपराध के कृत के संबंध में पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य के संपुष्ट भाग को स्वीकार करते हुए, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:-

"67. यह स्थापित विधि है कि अपराध के बारे में पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य का संपुष्ट भाग स्वीकार्य है। यह तथ्य कि लोक अभियोजक के कहने पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया था और उसे साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी गई थी, साक्षी के साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज करने का कोई औचित्य नहीं देता है। हालाँकि, न्यायालय को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि प्रथम दृष्टया, एक साक्षी जो अलग-अलग समय पर अलग-अलग बयान देता है, उसे सच्चाई की कोई परवाह नहीं होती है। उसके साक्ष्य को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और यह पता लगाने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या उसे कोई महत्व दिया जाना चाहिए। न्यायालय को ऐसे साक्षी के परिसाक्ष्य पर कार्रवाई करने में सचेत होना चाहिए, आम तौर पर, उन्हें अन्य साक्षीगण के साथ संपुष्टि की तलाश करनी चाहिए। केवल इसलिए कि एक साक्षी प्राथमिकी में दिए गए अपने बयान से विचलित हो जाता है, उसके साक्ष्य को पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। यह स्पष्ट करने के लिए कि पक्षद्रोही साक्ष्य के साक्ष्य पर कम से कम उस सीमा तक भरोसा किया जा सकता है, जिससे उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया हो। किसी व्यक्ति का साक्ष्य केवल इसलिए अभिलेख से मिट नहीं जाता कि वह अपने बयान से पलट गया है और उसकी गवाही की अधिक सावधानी से जाँच की जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने अभियोजन पक्ष के मामले का किस हद तक समर्थन किया है।"

39. इसलिए, अभि.सा.5 श्याम खन्ना के परिसाक्ष्य को, भले ही पक्षद्रोही घोषित किया गया हो, किंतु इसे संपुष्टि की सीमा तक पढ़ा जा सकता है। अभि.सा.5 श्याम खन्ना ने यह साबित कर दिया है कि घटनास्थल उसके घर के सामने था, जहाँ से घटनास्थल पर पड़े रक्त को पुलिस ने उसकी उपस्थिति में उठाया था। उसने मृतक के भाई, बहन और माँ की उपस्थिति भी प्रमाणित की है। उसने घटनास्थल के बारे में अभि.सा.2 सन्नी के बयान की भी संपुष्टि

की है तथा यह तथ्य भी रखा है कि वह सन्नी था जो मृतक को अस्पताल ले गया था। इस साक्षी ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि वह भी घटना का एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था, लेकिन घटना को देखने का उसका यह दावा संदिग्ध लगता है क्योंकि उसके परिसाक्ष्य में यह सामने आया है कि वह अपने घर से तब बाहर आया जब उसने एक महिला के रोने की आवाज़ सुनी जो *'मार गए, मार गए'* चिल्ला कर रो रही थी। इससे पता चलता है कि जब वह अपने घर से बाहर आया तो घटना पहले ही हो चुकी थी और मृतक की माँ और बहन घटनास्थल पर पहुँच चुकी थीं। यह पृष्ठभूमि होने के कारण, कृष्ण कुमार के परिसाक्ष्य को केवल घटनास्थल पर मृतक के भाई, बहन और माँ की घटनास्थल पर उपस्थिति और अभि.सा.2 सन्नी द्वारा पीड़ित को अस्पताल ले जाने के तथ्य की सीमित सीमा तक ही पढ़ा जा सकता है।

<u>चाकू की बरामदगी</u>

40. अभि.सा.2 और अभि.सा.3 के इस प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्य की संपुष्टि कि अपीलार्थी रवि ने कुलदीप के पेट और छाती पर चाकू से कई वार किए, अपीलार्थी रवि के बताए अनुसार चाकू की बरामदगी से होती है। यह अभिलेख में आया है कि घटना के तुरंत बाद मृतक के परिवार के सदस्य घटनास्थल पर पहुँच गए थे। अभियुक्तगण अपने घर के अंदर छिपे हुए थे। यहाँ क्षेत्र में आक्रोश था और बड़ी संख्या में लोग गली में एकत्र हो गए थे और *मारो-मारो*

के नारे लगा रहे थे, जिस पर निरीक्षक सुरेश चंद ने उप निरीक्षक आर.एस. मीना, सहायक उप निरीक्षक जय प्रकाश और अन्य कार्मिकों को अपराध स्थल को परिरक्षित करने और अभियुक्त व्यक्तियों को पकड़ने के निर्देश दिए और उसने भीड़ को नियंत्रित करने और अभियुक्तगण को पकड़ने के लिए पुलिस थाने के अन्य कार्मिकों को भी बुलाया। उप निरीक्षक बलिहार सिंह (अभि.सा.-28), अतिरिक्त थानाध्यक्ष आर.एस. चहल ने अभियुक्त व्यक्तियों के घर का दरवाज़ा खोला और उन्हें पीछे से बाहर निकाल लिया। जब अभियुक्तगण को कमरे से बाहर निकाला गया तो भीड़ में से किसी ने पत्थर फेंका जो अभियुक्त करमवीर के सिर पर लगा जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद, सभी अभियुक्तगण को गिरफ़्तार कर लिया गया और उनकी व्यक्तिगत तलाशी ली गई। अभियुक्त रवि कुमार ने एक प्रकटन बयान प्र.अभि.सा./ट दिया और उसी के अनुसरण में, वह पुलिस दल को अपने घर के पीछे एक पूजा स्थल पर ले गया जहाँ सीमेंट की पानी की टंकी थी और वहाँ से एक *छुरा* निकाला जो पानी की टंकी के नीचे पड़ा था जो रक्त से सना हुआ था और *छूरे* की नोक ऊपर से थोड़ी मुड़ी हुई थी। छूरे का रेखाचित्र प्र.अभि.सा.2/ण तैयार किया गया और ज्ञापन प्र.अभि.सा.2/भ द्वारा इसे ज़ब्त कर लिया गया। इस *छूरे* की बरामदगी अभि.सा.2 सन्नी और अभि.सा.3 रूपेश की उपस्थिति में की गई, जिन्होंने उसी हथियार की पहचान की है जिससे अभियुक्त रवि ने कुलदीप को चोटें पहुँचाई थीं।

41. अभियुक्त रवि कुमार द्वारा प्रकटन बयान देने और प्रकटन बयान के अनुसरण में बाद में बरामदगी के संबंध में निरीक्षक सुरेश चंद के परिसाक्ष्य की संपुष्टि उप-निरीक्षक आर.एस. मीना, अभि.सा.2 सन्नी और अभि.सा.3 रूपेश कुमार से होती है। चाकू/खंजर प्र.अभि.3 की पहचान अभि.सा.2 और अभि.सा.3 द्वारा की गई है कि यह वही चाकू है जिससे अभियुक्त रवि कुमार द्वारा कुलदीप के शरीर पर चोटें पहुँचाई गई थीं। इसके अतिरिक्त, चाकू को डॉ. अनिल शांडिल्य (अभि.सा.27) के समक्ष प्रस्तुत किया गया ताकि उसकी अनुवर्ती राय प्राप्त की जा सके। खंजर प्र.अभि.3 की चिकित्सक द्वारा परीक्षा की गई और उसके बाद उसने अपनी राय दी कि शवपरीक्षा रिपोर्ट में बताई गई चोटें उसके द्वारा परीक्षा किए गए हथियार या इसी तरह के किसी हथियार के द्वारा पहुँचाई गई हो सकती हैं। खंजर को भी सीएफ़एसएल भेजा गया था और प्र.अभि.सा.23/ञ की रिपोर्ट के अनुसार, खंजर प्र.अभि.3 को घटना के तुरंत बाद अभियुक्त रवि कुमार द्वारा बरामद किया गया था, जिसमें रक्त समूह 'बी' के मानव रक्त के लिए सकारात्मक परिणाम आया था, जो मृतक कुलदीप का भी रक्त समूह था।

<u>डंडे की बरामदगी</u>

42. कुलदीप पर हमला करते समय, अभियुक्त संजय ने मृतक के शरीर पर डंडा मारा था और जब अभि.सा.2 और अभि.सा.3 ने अपने भाई को बचाने

का प्रयास किया तो अभियुक्त संजय ने डंडा चलाकर उन्हें धमकाया। कुलदीप को घायल करने के बाद, सभी अभियुक्तगण घटनास्थल से भाग गए। *डंडा* वहीं छूट गया, जबकि चाकू रवि अपने साथ ले गया था।

43. इन दोनों साक्षीगण के प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्य कि अभियुक्त संजय अपने साथ *डंडा* लेकर आया था, जिससे उसने सन्नी और रूपेश को डराकर कुलदीप को बचाने के लिए आगे नहीं आने दिया और यह तथ्य कि उसने कुलदीप पर *डंडे* से कई बार वार भी किया, की संपुष्टि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से होती है।

44. सूचना मिलने पर, उप-निरीक्षक ललित कुमार (अभि.सा.12) फ़ोटोग्राफ़र मुख्य कॉन्स्टेबल विजय कुमार (अभि.सा.-1) सहित अपराध दल के सदस्यों के साथ घटनास्थल पर पहुँचे और इन दोनों साक्षीगण ने गवाही दी कि रक्त के अतिरिक्त, एक *डंडा* भी घटनास्थल पर पड़ा था। तस्वीर प्र.अभि.-2 (7 से 12) में भी घटनास्थल पर *डंडा* पड़ा होने की बात सामने आई है। निरीक्षक सुरेश चंद ने घटनास्थल पर *डंडा* पड़े होने के संबंध में अपने परिसाक्ष्य की संपुष्टि की है, जिसे फ़र्द मकबूज़गी प्र.अभि.सा.2/ख के माध्यम से ज़ब्त किया गया था। जाँच के दौरान, डंडे को सीएफ़एसएल भेजा गया जिसमें मानव रक्त के होने के सकारात्मक परिणाम सामने आए। हालाँकि इस पर रक्त समूह के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, लेकिन रक्त समूह का पता न लग पाना

घातक नहीं है। ***रामनरेश एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य,*** (2012) 4 एस.सी.सी. 257, जो कि भा.दं.सं. की धारा 302/499/376(2)(छ) के साथ पठित धारा 34 के अंतर्गत मामला था, में यह अभिवाक् दिया गया कि सीएफ़एसएल रिपोर्ट अभियुक्त को अपराध के साथ नहीं जोड़ती है, क्योंकि सीएफ़एसएल रिपोर्ट में रक्त/वीर्य का समूह नहीं बताया गया था। इस प्रतिविरोध को खारिज करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सीएफ़एसएल रिपोर्ट अनिर्णायक थी लेकिन नकारात्मक नहीं थी जिससे अभियुक्त को कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। यद्यपि यह सत्य है कि अभियुक्त संजय के अंगुलियों के निशान *डंडे* पर मौजूद अंगुलियों के निशान से मिलान करने के लिए नहीं लिए गए थे, परंतु यह भी ऐसा कारक नहीं है जो अभियुक्त को कोई लाभ पहुँचा सके, क्योंकि अभि.सा.2 और अभि.सा.3 के परिसाक्ष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए, तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि *डंडा* घटनास्थल पर पड़ा हुआ पाया गया था, जो रक्त से सना हुआ था, तथा *डंडे* पर अंगुलियों के निशान नहीं पाए जा सके थे।

<u>चिकित्सीय साक्ष्य</u>

45. डॉ. आर.के. शर्मा (अभि.सा.-9) ने साबित किया है कि कुलदीप को उसके संबंधी पंचशील अस्पताल लेकर आए थे और उसका भाई उसके साथ था।

उसने उसे 'मृत लाया गया घोषित' कर दिया और मृतक को डी.डी.यू. अस्पताल ले जाने की सलाह दी।

46. अभि.सा.16 डॉ. भावना डी.डी.यू. अस्पताल में आपात चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात थीं। उसने गवाही दी है कि दिनांक 14 अक्टूबर, 2006 को रात 11:50 बजे कॉन्स्टेबल रूप सिंह कथित मारपीट के मामले में कुलदीप नामक रोगी को लेकर आया था। चिकित्सीय जाँच में, उसने उसकी एमएलसी (न्यायिक विधिक मामला) प्र.अभि.सा.16/क तैयार की और निम्नलिखित चोटें पाईं:-

1. उरोस्थि (छाती की हड्डी) पर चीरा हुआ घाव है, खुला हुआ है, आंतरिक अंग दिखाई दे रहे हैं।
2. नाभि के ठीक नीचे - चाकू से चीरा हुआ घाव, गहराई - पूरी अंगुलि डाली जा सकती है।
3. छाती के बाईं ओर पार्श्व से मध्य कैल्विकुलर रेखा पर घाव।
4. बाएँ कमर पर नीचे की ओर चीरा हुआ घाव।
5. कोहनी के नीचे बाईं बांह की कलाई आकुंचक पहलू में चीरा हुआ घाव।
6. बाईं बांह की कलाई आकुंचक पहलू मध्य 1/3 भाग पर चीरा हुआ घाव।

7. बाएँ बांह की कलाई के उकेरे हुए भाग पर चीरा हुआ घाव, कोमल उत्तक दिखाई दे रहे हैं।

8. नासिकाओं में थक्के और मौखिक गुहा से रक्तस्राव देखा गया।

9. बाईं ओर छाती की भित्ति पर त्वचीय वातस्फीति (हवा की उपस्थिति) महसूस की गई।

47. अभि.सा.27 डॉ. अनिल शांडिल्य ने मृतक कुलदीप की शवपरीक्षा की तथा शवपरीक्षा रिपोर्ट तैयार की। परीक्षा में निम्नलिखित चोटें मिलीं:-

<u>बाहरी चोटें:</u>

1. छाती के सामने उरोस्थि के ऊपर 2.8 सेमी x 2 सेमी माप का एक चाकू का घाव, छाती की गुहा गहरी थी, जो दाहिनी मध्य रेखा से पार्श्व में 2.4 सेमी थी, और किनारों पर सूखे हुए रक्त के थक्के साफ और स्पष्ट रूप से नियमित थे।

2. छाती के बाईं ओर बाएं वक्षाग्र के ऊपर 4.8 सेमी x 2.9 सेमी का एक चीरा हुआ घाव था, छाती की गुहा गहरी थी, और किनारों पर सूखे हुए रक्त के थक्के साफ और स्पष्ट रूप से नियमित थे।

3. नाभि से पेट के दाहिने हिस्से पर 3 सेमी x 2 सेमी का चीरा हुआ घाव, मांसपेशियों में गहराई तक था, और किनारों पर सूखे हुए रक्त के थक्के साफ और स्पष्ट रूप से नियमित थे।

4. बाएँ कमर क्षेत्र पर 2.5 सेमी x 1.9 सेमी का चीरा हुआ घाव था, और किनारों पर सूखे हुए रक्त के थक्के साफ और स्पष्ट रूप से नियमित थे।

5. बाईं बांह के अग्रबाहु भाग पर, कोहनी से 3 सेमी नीचे, 7 सेमी x 3 सेमी x मांसपेशी में गहरा चीरा हुआ घाव था, और किनारों पर सूखे हुए रक्त के थक्के साफ और स्पष्ट रूप से नियमित थे।

6. बाईं बांह के अग्रबाहु भाग में 1/3 भाग पर 2.5 सेमी x 2 सेमी x का मांसपेशी तक गहरा चिरा हुआ घाव था, और किनारों पर सूखे हुए रक्त के थक्के साफ और स्पष्ट रूप से नियमित थे।

7. बाईं बांह की कलाई पर 1/3 दूर, 4 सेमी x 2 सेमी का मांसपेशियों के नीचे गहरा चीरा हुआ घाव, और किनारों पर सूखे हुए रक्त के थक्के साफ और स्पष्ट रूप से नियमित थे।

<u>अंदरूनी चोटें:</u>

1. सिर: पीला (मस्तिष्क से संबंधित)

2. गर्दन: एनएडी (गर्दन से संबंधित विकार)

3. छाती: घाव सं. 1 - दाहिनी ओर की छाती की दीवार के नीचे स्थित ढांचे को भेदते हुए, छाती गुहा में प्रवेश करते हुए, दाहिने फेफड़े को आर-पार छेदते हुए, तेज़ चीरा। घाव सं. 2 - छाती की बाईं ओर की दीवार में अंतर्निहित संरचना और हृदय के अंदर की बाईं गुहा में तीखे चीरे के साथ छिद्र।

   छाती गुहा तरल रक्त और लगभग 2.6 लीटर थक्कों से भरी हुई है।

4. उदर: सभी आंतरिक अंग पीले, आमाशय में अर्धपचा हुआ अज्ञात भोजन।

48. यह राय दी गई है कि मृत्यु का कारण फेफड़ों और हृदय में चोट लगने से होने वाले रक्तस्राव और सदमे के कारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप चाकू से चोट लगी जो सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। सभी चोटें तेज़ धार वाले हथियार से लगी होने के कारण मृत्यु से पहले की प्रकृति की थीं।

49. उसने आगे गवाही दी कि दिनांक 15.11.2006 को उसे एक सीलबंद पार्सल के साथ आवेदन मिला था, जिसमें अपराध का हथियार था। उसे जो हथियार दिखाया गया वह चाकू/छुरा था, जिसके ब्लेड की दोनों सतहों पर लाल भूरे रंग के धब्बे थे तथा उसकी नोक मुड़ी हुई और नुकीली थी और एक लकड़ी का हैंडल था। भीतरी किनारा पूरी लंबाई में नुकीला था और ऊपरी किनारा लगभग ¾ लंबाई में कम धार का था और बाकी ऊपरी सीमा का पतला किनारा मुड़े हुए नुकीले सिरे के साथ तीखा था। उसने खंजर प्र.अभि.सा.27/ख के रेखाचित्र के साथ अपनी अनुवर्ती राय दी, जिसमें कहा गया कि शवपरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित चोटें परीक्षण किए गए अपराध के हथियार अर्थात् खंजर प्र.अभि.3 या इसी प्रकार के किसी अन्य हथियार द्वारा पहुँचाई हो सकती हैं।

50. यह प्रस्तुत किया गया था कि चिकित्सीय साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्य से भिन्न है, क्योंकि शवपरीक्षा रिपोर्ट और चिकित्सक द्वारा दिए गए साक्ष्य के अनुसार, मृतक कुलदीप के शरीर पर कोई कुंद चोट नहीं मिली थी और चोटें धारदार हथियार से आई थीं। हालाँकि, प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्य के अनुसार मृतक कुलदीप पर *डंडे* से कई वार किए गए थे और धारदार हथियार से चोटें पहुँचाई गई थीं।

51. इस प्रकार, हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या "चिकित्सीय साक्ष्य" पर विश्वास किया जाना चाहिए या क्या प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के परिसाक्ष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य को तब तक स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि इसे चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जाता है। ***अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य,*** (2010) 10 एस.सी.सी. 259, ***हरियाणा राज्य बनाम भागीरथ,*** (1999) 5 एस.सी.सी. 96 और ***सोलंकी चिमनभाई उकाभाई बनाम गुजरात राज्य,*** (1983) 2 एस.सी.सी. 174 के बाद इस सिद्धांत को हाल ही में ***गंगाभवानी बनाम राजपति वेंकट रेड्डी,*** ए.आई.आर. 2013 एस.सी. 3681 में स्वीकार किया गया है।

52. ***बस्तीराम बनाम राजस्थान राज्य,*** 2014 III ए.डी. (एस.सी.) 348 में काफ़ी हद तक इसी तरह का प्रश्न उठा था और एक अभिवाक् दायर किया गया

कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने गलती से चिकित्सीय साक्ष्य की अवहेलना करते हुए प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य को प्राथमिकता दी। प्रासंगिक टिप्पणियों को पुनः प्रस्तुत करना लाभदायक होगा जो निम्नानुसार हैं:-

> *"38. " "चिकित्सीय साक्ष्य" शब्द का अर्थ संक्षेप में चिकित्सक द्वारा चोट की रिपोर्ट या शवपरीक्षा रिपोर्ट में या मौखिक परिसाक्ष्य के दौरान बताए गए तथ्यों के साथ-साथ चिकित्सक द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर व्यक्त की गई राय से है। उदाहरण के लिए, खोपड़ी या पैर पर चोट लगना चिकित्सक द्वारा दर्ज किया गया तथ्य है। क्या चोट के कारण व्यक्ति की मृत्यु हुई है, यह चिकित्सक की राय है। जैसा कि हरियाणा राज्य बनाम भागीरथ, (1999) 5 एस.सी.सी. 96 में तथ्यों के एक ही समूह पर उल्लेख किया गया है, दो चिकित्सकों की राय अलग-अलग हो सकती है। इसलिए, किसी विशेष चिकित्सक की राय अंतिम या अटल नहीं है।*
>
> *39. चिकित्सक द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के बारे क्या कहा जाए - क्या वे अटल हैं? कपिलदेव मंडल बनाम बिहार राज्य, (2008) 16 एस.सी.सी. 99 में चिकित्सक द्वारा पाए गए तथ्यों को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य से अधिक प्राथमिकता दी गई थी। प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों से पता चला कि मृतक को बंदूक से चोट लगी थी। हालाँकि, शवपरीक्षा करने वाले चिकित्सक ने कहा कि उसे मृतक के शरीर पर बंदूक से किसी चोट का कोई संकेत नहीं मिला। किसी भी घाव में कोई छर्रे, गोली या कोई कारतूस नहीं मिला। तथ्यों पर "चिकित्सीय साक्ष्य" को स्वीकार करते हुए, यह टिप्पणी की गई कि:*
>
> > *"चिकित्सीय साक्ष्य इस बात का संकेत है कि मृतक के शरीर पर बंदूक से लगी कोई चोट नहीं थी, जबकि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण का बयान है कि अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण बंदूक लेकर चल रहे थे और बंदूकों से ही चोटें आई थीं। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में, अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना करते समय चिकित्सीय साक्ष्य को महत्व दिया जाएगा और प्रत्यक्षदर्शी बयान के तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी तथा इसका उपयोग प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के परिसाक्ष्य को खारिज करने के लिए किया जा सकता है*

क्योंकि यह मामले की जड़ तक जाता है और प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के बयान को निर्णायक रूप से सत्य साबित करने में परिरोधक बनता है।

40. इसी तरह, शवपरीक्षा रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा बताए गए तथ्य को न्यायालय प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य पर भरोसा करके खारिज कर सकता है, हालाँकि ऐसा बहुत कम होता है। दयाल सिंह बनाम उत्तरांचल राज्य, (2012) 8 एस.सी.सी. 263 में शवपरीक्षा रिपोर्ट और उस परीक्षण को करने वाले चिकित्सक का मौखिक परिसाक्ष्य यह था कि मृतक के शरीर पर कोई आंतरिक या बाहरी चोट नहीं पाई गई थी। इस न्यायालय ने "चिकित्सीय साक्ष्य" को खारिज कर दिया और विचारण न्यायालय (और उच्च न्यायालय) के इस दृष्टिकोण को बरकरार रखा कि अन्य साक्ष्यों द्वारा समर्थित प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण का परिसाक्ष्य शवपरीक्षा रिपोर्ट और चिकित्सक के परिसाक्ष्य पर अभिभावी होगा। यह अभिनिर्धारित किया गया कि:

> *"विचारण न्यायालय ने जाँच अधिकारी की जानबूझ कर की गई चूकों और डॉ. सी.एन. तिवारी द्वारा तैयार शवपरीक्षा रिपोर्ट को नज़रअंदाज़ कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के लगातार बयान, जिनका अन्य साक्षीगण ने भी पूरा समर्थन किया गया और संपुष्टि की गई, और अपराध की जाँच, जिसमें लाठियों की बरामदगी, जाँच रिपोर्ट, घटनास्थल से एक अभियुक्त की पगड़ी की बरामदगी, तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना और बहुत कम समय में ही घायलों की मौत शामिल है, अभियोजन पक्ष के मामले को उचित संदेह से परे स्थापित करते हैं। अभि.सा.3 [चिकित्सक] और अभि.सा.6 [जाँच अधिकारी] की ओर से की गई ये चूकें जानबूझकर दोषपूर्ण ढंग से रिपोर्ट और दस्तावेज़ तैयार करने का उनका एक जानबूझकर किया गया प्रयास है, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता और अभियुक्त को बरी कर दिया जाता, लेकिन विचारण न्यायालय ने न्याय करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सही दृष्टिकोण अपनाया कि दोषी बच न जाए। प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के साक्ष्य जो विश्वसनीय और योग्य थे, उन पर न्यायालय ने उचित रूप से भरोसा किया है।*

41. किसी अपराध के पीड़ित की जाँच में दर्ज तथ्यों के आधार पर चिकित्सक द्वारा दी गई राय को, ठोस और विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य के आधार पर खारिज किया जा सकता है।"

53. वर्तमान मामले पर पुनः बात करते हुए, डॉ. अनिल शांडिल्य के अनुसार, चोटें तेज़ धार वाले हथियार से आई थीं। दोनों पक्षकारगण में से किसी से भी यह प्रश्न नहीं किया गया कि क्या कोई चोट किसी कुंद वस्तु से आई थी। हालाँकि, डॉ. भावना से प्रतिपरीक्षा के दौरान एक विशेष प्रश्न पूछा गया कि क्या कुलदीप की एमएलसी में उसे किसी कुंद हथियार से चोट लगने का पता चला है और उसने उत्तर दिया:

चोट सं. 9 - छाती के ऊपर चमड़ी के नीचे वातस्फीति दोनों - किसी कुंद उपकरण या किसी तेज़ उपकरण द्वारा पहुँचाई हो सकती है। यह चोट ऐसी थी जिसमें त्वचा के नीचे हवा थी और यह छाती पर चाकू लगने या पसलियों के टूटने या किसी और कारण से संभव हो सकता था। पसलियों का यह टूटना या तो कुंद बल के प्रभाव या गिरने से हो सकता था।

54. इन परिस्थितियों में, डॉ. भावना द्वारा किसी कुंद वस्तु से चोट लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त संजय द्वारा *डंडे* से कोई चोट नहीं पहुँचाई गई थी। *डंडा* भी रक्त से सना हुआ था और वैज्ञानिक परीक्षण में उस पर मानव रक्त पाया गया था। तर्क के लिए यह भी मान लें कि *डंडे* का उपयोग कुलदीप को किसी भी तरह की चोट पहुँचाने के लिए नहीं किया गया था, कम से कम यह तो

साबित हो ही जाता है कि *डंडे* का उपयोग उसने सन्नी और रूपेश को अपने भाई कुलदीप को बचाने के लिए आगे आने से रोकने के लिए किया था और उन्हें *डंडे* का उपयोग करके धमकाया गया था।

<u>वैज्ञानिक साक्ष्य</u>

55. वैज्ञानिक साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के मामले को निर्णायक रूप से साबित करता है। जाँच के दौरान, निम्नलिखित वस्तुएँ ज़ब्त की गई थीं:-

(i) घटनास्थल से, रक्त का नमूना, रक्त से सनी मिट्टी, नमूने के लिए मिट्टी, मृतक कुलदीप की रक्त से सनी *हवाई चप्पल* की जोड़ी प्र.अभि-1 जो रेक्सोना निर्माता की थी और रक्त से सना *डंडा* प्र.अभि.2, फ़र्द मकबूज़गी प्र.अभि.सा.2/ख के माध्यम से ज़ब्त किए गए;

(ii) अभियुक्त रवि के कहने पर एक खंजर/छुरा प्र.अभि.3 बरामद किया गया था जिसे फ़र्द मकबूज़गी प्र.अभि.सा.2/भ के माध्यम से ज़ब्त किया गया;

(iii) अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ़्तारी के बाद, उनके कपड़े फ़र्द मकबूज़गी प्र.अभि.सा.2/थ, प्र.अभि.सा.2/द, प्र.अभि.सा.2/ध और प्र.अभि.सा.2/त के माध्यम से ज़ब्त किए गए;

(iv) परिवादी सन्नी के कपड़े फ़र्द मकबूज़गी प्र.अभि.सा.2/न के माध्यम से ज़ब्त किए गए;

(v) शव परीक्षा के बाद, चिकित्सक ने मृतक के कपड़े और उसके रक्त का नमूना सौंप दिया, जिसे फ़र्द मकबूज़गी प्र.अभि.सा.23/ज के माध्यम से ज़ब्त किया गया था।

56. ये सभी प्रदर्श सीएफ़एसएल, कोलकाता को भेजे गए और सीएफ़एसएल रिपोर्ट प्र.अभि.सा.23/ञ के अनुसार, हवाई चप्पल की जोड़ी, *डंडा*/बांस की छड़ी, खंजर, अभियुक्त रवि कुमार की पैंट, बनियान; अभियुक्त करमवीर की शर्ट, पैंट और बनियान; अभि.सा.-2 सन्नी की टी-शर्ट, हाफ़ पैंट और शर्ट; मृतक कुलदीप की शर्ट, बनियान, जींस और बनियान में "मानव रक्त" के लिए सकारात्मक परिणाम मिले हैं। हालाँकि, अभियुक्त संजय और राज कुमार के कपड़ों पर रक्त के कोई निशान नहीं पाए गए। खंजर, अभियुक्त रवि कुमार के कपड़ों, अभि.सा.-2 सन्नी के कपड़ों पर रक्त समूह 'बी' का मानव रक्त पाया गया जो मृतक का रक्त समूह था। इसका प्रभाव यह है कि मृतक का 'बी' रक्त समूह का मानव रक्त खंजर प्र.अभि.-3 पर पाया गया, जो अभियुक्त रवि कुमार से बरामद किया गया था और यह साबित करता था कि यह वही खंजर था जिसका उपयोग अपराध को अंजाम देने में हथियार के रूप में किया गया था। अभियुक्त संजय द्वारा प्रयुक्त बांस की छड़ी/*डंडा* प्र.अभि.-2,

जिसे वह भागते समय घटनास्थल पर छोड़ गया था, से भी मानव रक्त के लिए सकारात्मक परिणाम मिले, जिससे यह स्थापित होता है कि इसका उपयोग पीड़ित पर किया गया था। सन्नी के कपड़ों प्र.अभि.-14 से अभि.-17 में रक्त समूह 'बी' के मानव रक्त के लिए सकारात्मक रिपोर्ट आई, जिससे सन्नी की घटनास्थल पर उपस्थिति प्रमाणित होती है तथा यह भी प्रमाणित होता है कि वह मृतक को अस्पताल ले गया था, और इस तरह मृतक को अस्पताल ले जाते समय उसका रक्त उसके कपड़ों पर लग गया। अभियुक्त रवि कुमार के कपड़ों प्र.अभि.-5 और अभि.-6 में भी रक्त समूह 'बी' के मानव रक्त के लिए सकारात्मक परिणाम दिखा, जो मृतक कुलदीप के समान था, जिससे घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति सुनिश्चित होती है और मृतक कुलदीप का रक्त उसके कपड़ों पर तब लगा, जब उसने कुलदीप पर हमला किया था। अभियुक्त करमवीर के कपड़ों प्र.अभि.-7 से अभि.-9 से भी मानव रक्त के लिए सकारात्मक परिणाम मिले। अभियुक्त करमवीर पर आरोप है कि उसने मृतक को उसके पैरों से पकड़ा था और उसके कपड़ों पर मानव रक्त की मौजूदगी से यह स्थापित होता है कि वह घटनास्थल पर मौजूद था। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त रवि कुमार या करमवीर ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उनके कपड़ों पर रक्त कैसे आया था।

57. अपीलार्थीगण राज कुमार और संजय के विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया कि उनके कपड़ों पर रक्त नहीं पाया गया था। अभियुक्त राज कुमार के विरुद्ध मृतक कुलदीप के हाथ पकड़ने का आरोप है, इसलिए उसके कपड़ों पर रक्त नहीं आया होगा। जहाँ तक संजय का प्रश्न है, उसके विरुद्ध आरोप है कि उसने मृतक की मदद करने से रोकने के लिए सन्नी और रूपेश पर डंडा चलाया और मृतक पर *डंडे* से वार किए थे। केवल यह तथ्य कि उसके कपड़ों पर रक्त नहीं पाया गया स्वतः ही यह साबित नहीं करता कि वह घटनास्थल पर अनुपस्थित था या अपराध में शामिल नहीं था।

58. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि अभि.सा.-2 और अभि.सा.-3 के परिसाक्ष्य विशुद्ध गुणवत्ता के हैं और दोनों साक्षीगण प्रतिपरीक्षा की कसौटी पर खरे उतरे हैं। इसके अतिरिक्त, घटना के बारे में उनके प्रत्यक्ष विवरण को अपराध के हथियार की बरामदगी, चिकित्सीय साक्ष्य और वैज्ञानिक साक्ष्य से पर्याप्त संपुष्टि मिलती है।

<u>उद्देश्य</u>

59. वर्तमान मामले में अपराध करने का उद्देश्य बहुत बड़ा है क्योंकि अभियोजन पक्ष के साक्षीगण के परिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक कुलदीप का अभियुक्त रवि कुमार की बेटी सपना के साथ प्रेम संबंध था, जिसके कारण परिवारों के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। अभि.सा.-2 सन्नी और अभि.सा.-4

प्रेम लता के अनुसार, अभियुक्त रवि कुमार ने अपनी बेटी सपना को पीटा भी था और घटना से दो-तीन महीने पहले उसे उसके मामा के घर भेज दिया था। उसने कुलदीप को धमकी भी दी थी और उसे अपनी गतिविधियों पर विराम लगाने को कहा था। इतना ही नहीं अभियुक्त रवि कुमार और संजय प्रेम लता के घर गए थे और उससे कहा था कि वह कुलदीप को उसकी गतिविधियों को रोकने की सलाह दे। यहाँ तक कि जाँच अधिकारी सुरेश चंद ने भी गवाही दी है कि दोनों पक्षकारगण के बीच पहले से भी विवाद था क्योंकि मृतक ने अभियुक्त रवि की बेटी की आपत्तिजनक तस्वीरें वितरित की थीं। इस कारण रवि ने अपनी बेटी को उसके मामा के घर राजस्थान भेज दिया था, जिसके बाद भी उसने यह आपत्तिजनक व्यवहार जारी रखा। सपना के साथ मृतक कुलदीप की तस्वीर, प्र.अभि.सा.2/फ और अभि.सा.2/ब इसी बात को साबित करती है। इसी पृष्ठभूमि में उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब मृतक कुलदीप अपने भाई सन्नी और मौसेरे भाई रूपेश के साथ बाल्मीकि मंदिर से लौट रहा था, तो चारों अभियुक्तगण ने अपने परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर होने के कारण बदला लेने के लिए इस जघन्य हत्या को अंजाम दिया था।

60. ***मौलू बनाम हरियाणा राज्य,*** ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 2499 में, यह टिप्पणी की गई कि जब हमले के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य विश्वसनीय होते हैं और उन पर विश्वास किया जा सकता है, तो उद्देश्य का प्रश्न लगभग

अव्यवहारिक हो जाता है। कभी-कभी उद्देश्य स्पष्ट होता है और उसे साबित किया जा सकता है। लेकिन कभी-कभी उद्देश्य रहस्य में आवरित होता है और उसे पहचानना बहुत कठिन होता है। तथापि, यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण का साक्ष्य विश्वसनीय है और न्यायालय, जिसने उन पर पूर्ण विश्वास किया है, उस पर विश्वास करता है, तो यह प्रश्न कि इसके पीछे उद्देश्य था या नहीं, पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाता है। इसी प्रभाव के लिए ***ऋषि पाल बनाम उत्तराखंड राज्य,*** 2013 II ए.डी. (एस.सी.) 103 में नीचे विधि बनाई गई है।

61. अभि.सा.2 और अभि.सा.4 के परिसाक्ष्य, अभि.सा. सन्नी और रूपेश द्वारा सुनाई गई घटना के प्रत्यक्षदर्शी विवरण और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपराध करने का उद्देश्य उचित संदेह से परे स्थापित किया गया है।

<u>स्वतंत्र साक्षीगण की परीक्षा न करना</u>

62. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि इस तथ्य के बावजूद कि घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे, लेकिन कोई भी स्वतंत्र साक्षी कार्यवाही में शामिल नहीं हुआ था। यह सामान्य अनुभव है कि आम लोग आम तौर पर पुलिस कार्यवाही में शामिल होने के लिए अनिच्छुक होते हैं। ऐसी कार्यवाही में शामिल होने के लिए जनता की ओर से सामान्य उदासीनता और विरक्ति है। ***अप्पाभाई एवं अन्य बनाम गुजरात***

राज्य, ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 696 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:

> *"11. .....इसमें अवश्य कोई संदेह नहीं है कि अभियोजन पक्ष बस स्टैंड पर हुई घटना के लिए कोई स्वतंत्र साक्षी पेश करने में असमर्थ रहा है। वहाँ ऐसे कई साक्षीगण रहे होंगे। लेकिन केवल इसी आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज नहीं किया जा सकता या उस पर संदेह नहीं किया जा सकता। अनुभव हमें याद दिलाता है कि सभ्य लोग, जब उनकी उपस्थिति में भी कोई अपराध किया जाता है, तो आमतौर पर वे असंवेदनशील हो जाते हैं। वे पीड़ित और साक्षी दोनों से दूर हो जाते हैं। वे स्वयं को न्यायालय से तब तक दूर रखते हैं जब तक कि यह अपरिहार्य न हो। उनका मानना है कि सिविल विवाद जैसे अपराध दो व्यक्तियों या पक्षकारगण के बीच होते हैं और उन्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। आम जनता की इस तरह की उदासीनता वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह हर जगह मौजूद है, चाहे वह गाँव हों, कस्बे हों या शहर। इस अपंगता को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता जिसके साथ जाँच एजेंसी/अभिकरण को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। इसलिए, न्यायालय को स्वतंत्र साक्षी के अभाव में अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह करने के बजाय अभियोजन पक्ष के बयान की व्यापक विस्तृत श्रेणी पर विचार करना चाहिए और फिर अभियुक्त द्वारा सुझाई गई संभावना, यदि कोई हो, के साथ सत्य के अंश की खोज करनी चाहिए।"*

63. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***कृष्णा मोची बनाम बिहार राज्य,*** 2002 6 एस.सी.सी. 81 में इस संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

> *"31. यह आम अनुभव की बात है कि हाल के दिनों में सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों में तीव्र गिरावट आई है, यहाँ तक कि विकसित देशों में भी, हमारे जैसे विकासशील देशों में भी, जहाँ गिरावट का अनुपात अधिक है। यहाँ तक कि सामान्य मामलों में भी साक्षीगण गवाही देने के लिए इच्छुक नहीं*

होते हैं या उनके साक्ष्य कई कारणों से न्यायालयों द्वारा विश्वसनीय नहीं पाए जाते हैं। इसका एक कारण यह हो सकता है कि वे अपने जीवन को खतरे के कारण अभियुक्त के विरुद्ध गवाही देने का साहस नहीं कर पाते हैं, विशेषतः तब जब अभियुक्त आदतन अपराधी हों या सरकार में उच्च पद पर हों या सत्ता के करीबी हों, जो राजनीतिक, आर्थिक या बाहुबल सहित अन्य शक्तियाँ हो सकती हैं। एक साक्षी प्रतिपरीक्षा की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है, जिसका कभी-कभी कारण यह हो सकता है कि वह एक देहाती व्यक्ति है और कुशल प्रतिपरीक्षक द्वारा उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम नहीं है और कभी-कभी प्रतिपरीक्षा के तनाव में, उससे कुछ उत्तर छीन लिए जाते हैं। जब एक देहाती या अनपढ़ साक्षी एक चतुर वकील का सामना करता है, तो असंतुलन होना तय है और इसलिए, छोटी-मोटी विसंगतियों को नज़रअंदाज़ करना पड़ता है। आजकल धन-बल या किसी अन्य प्रकार की सहायता से किसी साक्षी को अपने पक्ष में करना या उसे जान से मारने की धमकी देना या सत्ता में बैठे लोगों या उनके सहयोगियों के कहने पर उसे अपने पक्ष में करना कोई कठिन काम नहीं है। ऐसे मामले भी असामान्य नहीं हैं, जहाँ कोई साक्षी गवाही देने के लिए इच्छुक नहीं होता, क्योंकि मौजूदा सामाजिक ढाँचे में वह उदासीन रहना चाहता है।"

64. आम जनता की उदासीनता और विरक्तिपूर्ण रवैया अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है, क्योंकि,

i) अभि.सा.6 कृष्ण कुमार मृतक का पहला चचेरा भाई है। उसकी प्रतिपरीक्षा में यह सामने आया है कि पुलिस अधिकारी घटना के दिन उससे मिले थे और उससे पूछताछ की थी, लेकिन उसने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया क्योंकि अभियुक्त व्यक्ति उसके बगल में रहने वाले पड़ोसी थे। यह दिनांक 10 नवंबर, 2006 का दिन था जब पुलिस द्वारा उनका बयान दर्ज किया जा सका था। यदि मृतक का निकटतम संबंधी होने के नाते, वह

पुलिस को बयान देने में संकोच कर रहा था क्योंकि अभियुक्त व्यक्ति और परिवादी पक्षकार एक ही इलाके के निवासी थे, इसलिए वह पड़ोस के कारण अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध गवाही नहीं देना चाहता था, तो इलाके के किसी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति के जाँच में आगे आकर शामिल होने की संभावना बहुत कम है। इसके अतिरिक्त, जब वह न्यायालय में प्रस्तुत हुआ, तो उसने अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन नहीं करने का निर्णय किया।

ii) अभि.सा.5 श्याम खन्ना उसी इलाके का निवासी था और यह जघन्य हत्या उसके घर के सामने हुई थी। यहाँ तक कि इस साक्षी ने भी गवाही दी है कि *गली* में हंगामा सुनकर वह अपने घर के बाहर आया और उसने देखा कि कुलदीप भूमि पर पड़ा हुआ था और उसके शरीर से रक्त बह रहा था। वहाँ बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। कुछ देर बाद वह अपने घर वापस आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। चूँकि उसके घर के बाहर बने चबूतरे पर रक्त गिरा था, इसलिए जब पुलिस आई और उस चबूतरे से और *गली* से भी रक्त एकत्र किया, तो पुलिस ने उसे कार्यवाही में शामिल होने के लिए बुलाया। तब भी जब वह साक्षी कठघरे में पेश हुआ, तो उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करने का निर्णय किया।

(iii) अभि.सा.15 कॉन्स्टेबल रूप सिंह के बयान में आया है कि हत्या की सूचना मिलने पर वह घटनास्थल पर गया और उसे पता चला कि घायल को

पंचशील अस्पताल ले जाया गया है। इसलिए, वह पंचशील अस्पताल गया जहाँ उसकी मुलाकात सन्नी से हुई जो अस्पताल के बाहर खड़ा था और अपने भाई को डी.डी.यू. अस्पताल में अंतरित करना चाहता था, लेकिन किसी भी वाहन की व्यवस्था करने में असमर्थ था। इस प्रकार, उसने घायल को डी.डी.यू. अस्पताल ले जाने के लिए एक निजी वैन का अनुरोध किया। उसके पूछने पर, वैन चालक घायल को अपनी वैन में ले गया, हालाँकि, उत्तम नगर बस टर्मिनल पर, वैन के चालक ने वाहन को रोक दिया और यह कहते हुए आगे जाने से इनकार कर दिया कि कुलदीप की पहले ही मृत्यु हो चुकी है और वह न्यायालय के किसी भी मामले में शामिल नहीं होना चाहता था। काफ़ी समय तक लगातार अनुरोध करने के पश्चात् ही वह माना और घायल को डी.डी.यू. अस्पताल ले गया, लेकिन उसने अपना नाम और पता नहीं बताया। यह सब दर्शाता है कि हालाँकि मानवीय आधार पर, निजी वैन चालक शुरू में घायल को डी.डी.यू. अस्पताल ले जाने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन बाद में उसने आगे सहायता करने से मना कर दिया क्योंकि वह न्यायालय के किसी भी मामले में शामिल नहीं होना चाहता था। मृतक के पहले चचेरे भाई कृष्ण कुमार (प्र.अभि.सा.5) ने भी शुरू में कोई बयान देने से इनकार कर दिया क्योंकि अभियुक्तगण उसके पड़ोसी थे। प्र.अभि.सा.5 श्याम खन्ना ने यह बयान देने के बावजूद कि उसने ऐसा भयावह दृश्य कभी नहीं देखा था, सन्नी और रूपेश को घायल को अस्पताल ले जाने में कोई सहायता करने के बजाय अपने घर का दरवाज़ा बंद करने का निर्णय

किया। उस परिदृश्य में, यदि इलाके का कोई अन्य स्वतंत्र व्यक्ति कार्यवाही में शामिल होने के लिए सहमत नहीं होता है, तो इसका कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अभि.सा.2 और अभि.सा.3 के परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, जिन्हें अभि.सा.5 श्याम खन्ना और अभि.सा.6 कृष्ण कुमार और अन्य सभी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से कुछ हद तक संपुष्टि मिलती हैं, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

<u>घटना का स्थल</u>:-

65. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतक की हत्या श्याम खन्ना और कृष्ण कुमार के घर के सामने हुई थी, जबकि बचाव पक्ष का मामला यह है कि कुलदीप की हत्या मेट्रो स्टेशन के पास किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई थी और अभियुक्त व्यक्तियों को संदेह के आधार पर झूठा फँसाया गया था। इस प्रस्तुतिकरण को उठाने के लिए, प्र.अभि.सा.23/घक पर भरोसा किया गया, जिसके माध्यम से 20:55 पर पी.सी.आर. को ककरोला के पास सेवक पार्क मेट्रो स्टेशन पर झगड़े के संबंध में कॉल की गई थी। 20:56 पर, एक और कॉल किया गया कि कुलदीप, पुत्र जसबीर, निवासी मकान सं. 73, ग्राम सभा, सेवक पार्क, उत्तम नगर, का लड़का है, जिसका झगड़ा हुआ है जिसमें उसे चाकू से मारा गया था। उसे पंचशील हार्ट एंड मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहाँ चिकित्सक ने उसे 'मृत लाया गया घोषित' कर दिया। पी.सी.आर. को दी गई

इस जानकारी के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया कि ककरोला के पास सेवक पार्क मेट्रो स्टेशन पर एक झगड़े में कुलदीप को चाकू से चोटें आईं और कुछ लोगों द्वारा उसे सेवक पार्क से पंचशील हार्ट एंड मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहाँ उसे "मृत लाया गया घोषित" कर दिया गया। हालाँकि संदेह के आधार पर अभियुक्त व्यक्तियों को इस मामले में मिथ्या ढंग से फँसाया गया था।

66. अभियुक्त व्यक्तियों को पी.सी.आर. कॉल से कोई लाभ नहीं मिल सका। निरीक्षक सुरेश चंद के अनुसार, सत्यापन पर पता चला कि यह पी.सी.आर. कॉल प्र.अभि.सा.23/घक अभियुक्त राज कुमार द्वारा की गई थी। अभिलेख के अनुसार, अभियुक्त राज कुमार दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद पर कार्यरत था। ऐसे में, बचाव के उद्देश्य से यह कॉल करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, कुलदीप की जघन्य हत्या को देखकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश फैल गया था तथा स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए निरीक्षक सुरेश चंद को घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा था। अभियुक्तगण के घर के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई थी और वे *'मारो-मारो'* के नारे लगा रहे थे और उनके जीवन पर खतरे का आभास देखते हुए झगड़ा होने का यह कॉल अभियुक्त राज कुमार द्वारा किया गया होगा। सभी अभियुक्तगण अपने घर में छिपे हुए थे। मृतक के संबंधी और मोहल्ले के लोग आक्रामक मनोदशा में थे और बदला लेना चाहते थे। स्थिति

बहुत तनावपूर्ण थी। यहाँ तक कि जब अभियुक्तगण को उनके घर से बाहर निकाला गया तब किसी ने पत्थर फेंका था जो करमवीर के सिर पर लगा जिससे वह घायल हो गया था।

67. इसके अतिरिक्त, डी.डी. सं.46 प्र.अभि.सा.15/ग के माध्यम से रात 9:35 बजे सूचना दी गई कि द्वारका मोड़, सेवक पार्क में अशोक बागड़ी के घर के पास एक हत्या हुई है। इससे पहले भी, डब्ल्यू60 ऑपरेटर से रात 9:15 बजे द्वारका मोड़, सेवक पार्क में अशोक बागड़ी के घर के पास हुई हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर डी.डी. सं. 40क प्र.अभि.सा.23/क दर्ज की गई थी। इस डी.डी. के अनुसार, उप.निरीक्षक जय प्रकाश को घटनास्थल पर भेजा जा रहा था। इसकी सूचना अतिरिक्त थानाध्यक्ष निरीक्षक सुरेश चंद और प्रभारी एसआई आर.एस. मीना को भी दी गई। निरीक्षक सुरेश चंद, अभि.सा.23 ने गवाही दी है कि डी.डी. सं.40क प्र.23/क प्राप्त होने पर, वह अतिरिक्त थानाध्यक्ष निरीक्षक आर.एस. चहल के साथ घटनास्थल अर्थात् मकान सं. बी-1 के सामने, सेवक पार्क, उत्तम नगर पहुँचा, जहाँ वह उप निरीक्षक आर.एस. मीना, उप निरीक्षक जय प्रकाश, कॉन्स्टेबल नसीब सिंह और अन्य कार्मिकों से मिला और मकान सं. बी-1, सेवक पार्क के सामने *गली* में और *चबूतरे* की दीवार पर रक्त पड़ा हुआ पाया। इसके अतिरिक्त, एक *डंडा* और मृतक की रक्त से सनी एक जोड़ी *हवाई चप्पल* भी घटनास्थल पर पड़ी थी। उप निरीक्षक ललित कुमार

(अभि.सा.12) और मुख्य कॉन्स्टेबल विजय कुमार (अभि.सा.1) वाला अपराध दल भी घटनास्थल अर्थात् मकान सं. बी-1, सेवक पार्क, उत्तम नगर पहुँचा और अपराध दल रिपोर्ट प्र.अभि.सा.12/क तैयार की और तस्वीरें प्र.अभि.2 (7 से 12 तक) ली गईं।

68. अभि.सा.2 और अभि.सा.3 ने भी श्याम खन्ना के घर के पास कुलदीप की हत्या के कृत के संबंध में गवाही दी है। अभि.सा.5 श्याम खन्ना बी-2ए, सेवक पार्क, उत्तम नगर का निवासी है। इस साक्षी ने यह भी गवाही दी है कि *गली* में शोरगुल और *'मार गए-मार गए'* की आवाज़ सुनकर वह अपने घर के बाहर *गली* में आया तो देखा कि मृतक जमीऩ पर पड़ा था और उसके शरीर से रक्त बह रहा था। उसके घर के बाहर बने चबूतरे पर कुछ रक्त गिरा हुआ था। अभि.सा.6 कृष्ण कुमार का घर अभि.सा.5 श्याम खन्ना के घर के सामने है और इस साक्षी ने भी यह गवाही दी है कि कुलदीप उसके घर और श्याम खन्ना के घर के सामने भूमि पर पड़ा था। इन परिस्थितियों में, घटनास्थल के बारे में कोई संदेह नहीं है जो साक्षी के मौखिक परिसाक्ष्य और अपराध दल प्रबंधन रिपोर्ट से साबित होता है।

<u>प्राथमिकी दर्ज करने में देरी</u>

69. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह आग्रह किया गया है कि यहाँ प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई है और स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति

में, अभियोजन पक्ष के मामले को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। प्राथमिकी दर्ज करने में देरी अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है और न ही देरी से सूचनादाता द्वारा दिए गए बयान की सत्यता के बारे में कोई संदेह पैदा हो सकता है, ठीक उसी तरह जैसे रिपोर्ट का तुरंत दर्ज होना उसके पूरी तरह सत्य होने की गारंटी नहीं हो सकता। जब तक देरी के लिए ठोस और स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता, तब तक इसका महत्व खत्म हो जाता है। स्पष्टीकरण स्वीकार्य है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। स्पष्टीकरण स्वीकार्य है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए कोई निश्चित सूत्र नहीं है।

70. इस संदर्भ में, हम ***हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम ज्ञान चंद,*** (2001) 6 एस.सी.सी. 71 में दिए गए निर्णय का संदर्भ सुविधापूर्वक दे सकते हैं, जिसमें तीन न्यायाधीगण की पीठ ने राय दी है कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह करने और केवल देरी के आधार पर उसे खारिज करने के लिए एक औपचारिक सूत्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यदि प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक है और यदि इसमें अतिरंजन की कोई संभावना नहीं है, तो देरी को अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं माना जाना चाहिए।

71. ***रामदास और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य,*** (2007) 2 एस.सी.सी. 170 में, यह निर्णय दिया गया है कि जब कोई प्राथमिकी देर से दर्ज की जाती है, तो यह एक प्रासंगिक तथ्य है जिस पर न्यायालय को ध्यान देना चाहिए, लेकिन उक्त तथ्य पर मामले के अन्य तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए। न्यायालय की ओर से यह विचार करना अनिवार्य है कि क्या रिपोर्ट दर्ज करने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है और यह समग्र रूप से साक्ष्य की विवेचना के मामले पर निर्भर करेगा।

72. ***किलाक्कथा परमबथ ससि एवं अन्य बनाम केरल राज्य,*** ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 1064 में, यह निर्धारित किया गया है कि जब प्राथमिकी देरी से दर्ज की जाती है, तो यह अनुमान सही रूप से लगाया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष की कहानी सत्य नहीं हो सकती है, लेकिन दूसरी ओर, यदि यह पाया जाता है कि प्राथमिकी दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अभियोजन पक्ष की कहानी अथाह प्रबल है। इसी तरह का मत ***कन्हैया लाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य,*** 2013 (6) स्केल 242 में भी लिया गया है।

73. ***शनमुगम (पूर्वोक्त)*** में प्राथमिकी दर्ज करने में कुछ घंटों की देरी हुई थी। उस मामले में भी, मृतक का भाई अभियुक्त व्यक्तियों के चले जाने के

पश्चात् घटनास्थल पर लौटा तो उसने पाया कि उसका भाई मृत पड़ा है और उसके चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें हैं। वह अपने भाई को सूचना देने के लिए 'हरूर' गया, जो उसके साथ कार में घटनास्थल पर गया था और फिर पुलिस थाने गया, जहाँ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। यह टिप्पणी की गई कि घटनास्थल से पुलिस थाने तक आने-जाने तथा प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया में निश्चित रूप से कुछ समय बर्बाद हुआ था। रिपोर्ट में घटना का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्राथमिकी लिखने वाले द्वारा दिया गया विवरण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दिए गए विवरण के अनुरूप ही रहा और इस प्रकार, यह टिप्पणी की गई कि अभियोजन पक्ष के मामले पर केवल इसलिए अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि प्राथमिकी में कुछ घंटों की देरी हुई थी, विशेषकर तब जब देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया था।

74. उपरोक्त विधि के प्रवर्तन के आधार पर समीक्षा करने पर, हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि इस मामले से यह पता नहीं चलता है कि प्राथमिकी दर्ज करने में सहजता की अनुपस्थिति ने एक आभासी विवरण बनाया है।

75. यह बात सर्वविदित है कि यह घटना लगभग रात 8:30 बजे हुई है। इसके तुरंत बाद अभि.सा.2 सन्नी ने घायल को पंचशील हार्ट एंड मेडिकल सेंटर पहुँचाया, जहाँ परीक्षण के पश्चात् डॉ. आर.के. शर्मा ने कुलदीप को मृत घोषित

कर दिया। हालाँकि, सन्नी ने ज़ोर दिया और कहा कि कुलदीप की पूरी परीक्षा की जाए। इसलिए डॉ. आर.के. शर्मा ने उसे सलाह दी कि यदि वह संतुष्ट नहीं है तो कुलदीप को डी.डी.यू. अस्पताल ले जाए। चूँकि कोई एंबुलेंस उपलब्ध नहीं थी, सन्नी ने कई वाहनों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जब कॉन्स्टेबल रूप सिंह पंचशील अस्पताल पहुँचा और सन्नी के द्वारा उसे बताया गया कि वह अपने भाई को डी.डी.यू. अस्पताल ले जाना चाहता है, तो उसने किसी तरह एक निजी वैन को रुकवाया और मृतक को डी.डी.यू. अस्पताल पहुँचाया। हालाँकि, सन्नी अपने परिवार के सदस्यों को सूचित करने के लिए घटनास्थल पर वापस आया और उसके बाद वह डी.डी.यू. अस्पताल गया जहाँ उसकी मुलाकात निरीक्षक सुरेश चंद से हुई जिसने उसका बयान प्र.अभि.सा.2/क दर्ज किया, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। रिपोर्ट प्र.अभि.सा.य/क में घटना का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्राथमिकी लिखने वाले द्वारा दिया गया विवरण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दिए गए विवरण के अनुरूप है, इसलिए अभियोजन पक्ष के मामले पर केवल इसलिए अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि प्राथमिकी में कुछ घंटों की देरी हुई थी, विशेषकर तब जब देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया था।

<u>अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक्</u>

76. अपीलार्थीगण ने दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में यह कहते हुए अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् बनाने का प्रयास किया है कि कथित घटना शनिवार को हुई थी और वे *काली माता की चौकी में व्यस्त थे*/ पुलिस उनके घर आई और उन्हें ले गई और इस मामले में झूठा फँसा दिया।

77. जब एक अन्यत्र उपस्थिति का दावा किया जाता है, तो अभियुक्त पर अपने बचाव को विश्वसनीयता प्रदान करने का भार होता है।

78. अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् के मर्म को समझाते हुए, ***दूध नाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,*** (1981) 2 एस.सी.सी. 166 में यह टिप्पणी की गई थी कि:

> *"अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् में यह माना गया है कि अभियुक्त की उपस्थिति अपराध स्थल पर शारीरिक रूप से असंभव है क्योंकि वह किसी अन्य स्थान पर उपस्थित है। इसलिए यह अभिवाक् तभी सफल हो सकता है जब यह दिखाया जाए कि अभियुक्त प्रासंगिक समय पर इतनी दूर था कि वह उस स्थान पर उपस्थित नहीं हो सकता था जहाँ अपराध किया गया था।"*

79. ***बिनय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य,*** (1997) 1 एस.सी.सी. 283 में निम्नलिखित शब्दों में इसे अधिक विस्तृत रूप से समझाया गया था:

> *"22. हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि एक अन्यत्र उपस्थिति भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि में परिकल्पित अपवाद (विशेष या सामान्य)*

नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में यह साक्ष्य का एक नियम माना गया है कि जो तथ्य विवाद्यक तथ्य से असंगत हैं, वे ही प्रासंगिक हैं।"

"23. लैटिन शब्द एलिबाई का अर्थ है "अन्यत्र उपस्थिति" और इस शब्द का उपयोग सुविधा के लिए तब किया जाता है जब अभियुक्त बचाव की इस पंक्ति का सहारा लेता है कि जब घटना हुई तो वह घटनास्थल से इतनी दूर था कि यह अत्यंत असंभव है कि उसने अपराध में भाग लिया हो। यह एक बुनियादी विधि है कि किसी आपराधिक मामले में, जिसमें अभियुक्त पर किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाने का आरोप है, अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का भार होता है कि अभियुक्त घटनास्थल पर उपस्थित था और उसने अपराध में भाग लिया है। केवल इस तथ्य से भार कम नहीं होगा कि अभियुक्त ने एलिबाई (अन्यत्र उपस्थिति) का बचाव अपनाया है। ऐसे मामलों में अभियुक्त के अभिवाक् पर तभी विचार किया जाना चाहिए जब अभियोजन पक्ष द्वारा भार का संतोषजनक ढंग से निर्वहन किया गया हो। लेकिन एक बार जब अभियोजन पक्ष भार का निर्वहन करने में सफल हो जाता है, तो अभियुक्त पर, जो एलिबाई (अन्यत्र उपस्थिति) का अभिवाक् अपनाता है, यह पूर्ण निश्चितता के साथ साबित करने का दायित्व होता है ताकि घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति की संभावना को बाहर किया जा सके। जब अभियोजन पक्ष द्वारा विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से घटनास्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति को संतोषजनक ढंग से स्थापित किया गया है, तो आम तौर पर न्यायालय इस बात के किसी भी प्रति-साक्ष्य पर विश्वास करने में धीमा होगा कि घटना के समय वह कहीं और था। लेकिन यदि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ऐसी गुणवत्ता और ऐसे मानक का है कि न्यायालय घटना के समय घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति के बारे में कुछ उचित संदेह रख सकता है, तो अभियुक्त, निस्संदेह, उस उचित संदेह का लाभ पाने का हकदार होगा। उस उद्देश्य के लिए, यह एक उचित प्रस्ताव होगा कि, ऐसी परिस्थितियों में, अभियुक्त पर भार काफ़ी अधिक होता है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकलता है कि अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक् को स्थापित करने के लिए प्रबल सबूत की आवश्यकता होती है।"

80. ***एस.के. सत्तार बनाम महाराष्ट्र राज्य,*** (2010) 8 एस.सी.सी. 430 में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक् को पूर्ण निश्चितता के साथ साबित किया जाना चाहिए ताकि प्रासंगिक समय पर घटनास्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति की संभावना को पूरी तरह से अपवर्जित रखा जा सके।

81. वर्तमान मामले पर पुन: लौटते हुए, मृतक की माँ अभि.सा.4 श्रीमती प्रेमलता ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि अभियुक्त संजय एक *तांत्रिक* है और हर शनिवार को वह अपने घर के अंदर *पूजा* करता था और लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उसके पास आते थे। हालाँकि, उसके अनुसार, संजय शाम 5:00 से 8:00 बजे के बीच पूजा करता है और उसने इस बात से इनकार किया कि संजय रात 10:00 बजे तक पूजा करता है या घटना की तिथि को *गली* में देर रात तक बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जो *पूजा* और *चौकी* के लिए अभियुक्त संजय से मिलने गए थे। हालाँकि अभि.सा.6 कृष्ण कुमार ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया, लेकिन इस पहलू के संबंध में, उसने अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन करते हुए यह गवाही दी कि अभियुक्त संजय *पूजा* करता है, हालाँकि वह यह नहीं बता सका कि अभियुक्त संजय उस दिन *माता की चौकी* पर बैठा था या नहीं। उसने इस बात से इनकार किया कि घटनास्थल पर कोई भी अभियुक्त उपस्थित नहीं था, या

उसने अभियुक्त व्यक्तियों को कुलदीप पर चाकू से हमला करते या घटनास्थल से भागते हुए नहीं देखा था। उक्त प्रश्नगत घटना रात लगभग 8:30 बजे घटित हुई थी। यदि यह मान भी लिया जाए कि अभियुक्त संजय *पूजा* करता है और *माता की चौकी* पर जाता है, तो इस तथ्य को साबित करने का दायित्व कि प्रासंगिक समय पर वह या कोई अन्य अभियुक्तगण घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, अभियुक्त व्यक्तियों पर था, और *माता की चौकी* करने के लिए घर में अपनी उपस्थिति साबित करने के लिए उनके द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार, अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उठाया गया अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् साबित नहीं होता है।

82. पूर्वगामी चर्चा से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में समर्थ रहा है कि रवि कुमार द्वारा कुलदीप को चाकू मारने से पहले सन्नी और रूपेश दोनों को अभियुक्त संजय द्वारा दूर रखा गया था, जिसके पास एक *डंडा* था और वह उन्हें धमकी दे रहा था और यह अभियुक्त रवि था, जिसने अपने भाइयों को प्रेरित किया कि कुलदीप ने उसकी बेटी के साथ प्रेम संबंध के कारण उसके परिवार को बदनाम किया था और उन्हें उसे मार देना चाहिए, जिस पर राज कुमार ने कुलदीप के हाथ पकड़ लिए, जबकि करमवीर ने कुलदीप के पैर पकड़ लिए और कुलदीप को जकड़कर रखा, जबकि अभियुक्त रवि कुमार ने कुलदीप के पेट और छाती पर चाकू से वार किए।

83. वास्तव में, प्रश्नगत घटना को चुनौती देने वाले अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई सभी प्रस्तुतियाँ महत्व खो देती हैं, क्योंकि तर्क के दौरान, अपीलार्थी रवि के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि ऐसी घटना हुई थी, लेकिन यह प्रस्तुत किया गया था कि जिन परिस्थितियों में यह घटना हुई थी, उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार, चूँकि मृतक उनकी बेटी को बदनाम कर रहा था और उनके परिवार की बदनामी कर रहा था, इसलिए अचानक और गंभीर उकसावे के कारण अपराध किया गया था, इसलिए मामला अपवाद खंड के अंतर्गत आता है और भा.दं.सं. की धारा 304 के अंतर्गत उसकी दोषसिद्धी को परिवर्तित किया जाना चाहिए।

84. राज्य के विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने प्रस्तुति का प्रतिकार करते हुए प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई अभिवाक् नहीं दिया गया था, विचारण के दौरान अपीलार्थी का मामला केवल इनकार करने और मिथ्या रूप से फँसाने का था। अब, इस स्तर पर, अपीलार्थी को गंभीर और अचानक उकसावे का अभिवाक् देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो अन्यथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में साबित नहीं होता है।

85. ***राजस्थान राज्य बनाम मनोज कुमार,*** 2014 वी. ए.डी. (एस.सी.) 243 में, एक ऐसा ही प्रश्न उठा, जहाँ अभियुक्त व्यक्तियों ने अपील में निजी

बचाव के अधिकार का अभिवाक् दिया और राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसका इस आधार पर विरोध किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने बयान में ऐसा अभिवाक कभी नहीं दिया गया, इसलिए उच्च न्यायालय इस पर विचार नहीं कर सकता। राज्य के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का विरोध करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

> *"11. .....हम सुविधा के साथ **मुंशी राम एवं अन्य बनाम दिल्ली प्रशासन** (1968) 2 एस.सी.आर. 455 में दिए गए निर्णय का संदर्भ देंगे, जिसमें यह कहा गया है कि यदि कोई अभियुक्त निजी बचाव का अभिवाक् नहीं भी देता है, तो न्यायालय ऐसे अभिवाक् पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है, यदि वह अभिलेख पर मौजूद सामग्री से उत्पन्न होता है और ऐसे अभिवाक् को स्थापित करने का दायित्व अभियुक्त पर है और अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर उस अभिवाक् के पक्ष में संभावनाओं की अधिकता दर्शाकर उस दायित्व का निर्वहन किया जा सकता है। **सलीम जिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (1979) 2 एस.सी.सी. 648 में इस न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई है कि यह सत्य है कि किसी अभियुक्त पर आत्मरक्षा के अभिवाक् को स्थापित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर पड़ने वाले दायित्व जितना भारी नहीं है और जबकि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता है, अभियुक्त को अभिवाक् को पूरी तरह से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है और वह अभियोजन पक्ष के साक्षीगण की प्रतिपरीक्षा में उस अभिवाक् के लिए आधार रखकर या बचाव पक्ष के साक्ष्य पेश करके केवल संभावनाओं की प्रधानता स्थापित करके अपने दायित्व का निर्वहन कर सकता है। इसी तरह, **मोहम्मद रमजानी बनाम दिल्ली राज्य** 1980 पूरक एस.सी.सी. 215 में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह सामान्य बात है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अंतर्गत एक अभियुक्त पर निजी बचाव के अपने अभिवाक् को साबित करने का जो दायित्व है, वह उतना भारी नहीं है जितना कि अभियोजन पक्ष पर यह*

दायित्व है कि वह उचित संदेह से परे, उस अपराध के प्रत्येक तत्व को साबित करे जिसका आरोप अभियुक्त पर लगाया गया है।"

86. इस विधिक प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए भले ही अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई अभिवाक् नहीं दिया गया हो, यह देखा जाना चाहिए कि क्या अपीलार्थी अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर ऐसा अभिवाक् स्थापित करने में सक्षम है। ऐसा करने से पहले, आइए अब भारतीय दंड संहिता की धारा 300 और 302 को शासित करने वाले सिद्धांतों पर चर्चा करें।

87. संहिता की धारा 299 और 300 क्रमशः 'आपराधिक मानव वध' और 'हत्या' की परिभाषा से संबंधित हैं। धारा 299 के संदर्भ में, 'आपराधिक मानव वध' को मृत्यु का कारण बनने के कार्य के रूप में वर्णित किया गया है (i) मृत्यु का कारण बनने के आशय से या (ii) ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनने के आशय से जिससे मृत्यु होने की संभावना है, या (iii) इस बोध के साथ कि इस तरह के कार्य से मृत्यु होने की संभावना है। जैसा कि इस उपबंध के पठन से स्पष्ट है, इसका पहला भाग 'आशय' अभिव्यक्ति पर ज़ोर देता है जबकि दूसरा भाग 'बोध' पर ज़ोर देता है। ये दोनों सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण हैं, हालाँकि, अलग-अलग स्तरों के हैं। 'आपराधिक मानव वध' में मानसिक तत्व, अर्थात् आचरण के परिणामों के प्रति मानसिक दृष्टिकोण आशय और बोध का

एक तत्व है। एक बार जब ऊपर उल्लिखित तीन में से किसी भी तरीके से कोई अपराध किया जाता है, तो यह 'आपराधिक मानव वध' होगा। यद्यपि धारा 300 'हत्या' से संबंधित है, बहरहाल संहिता की धारा 300 में 'हत्या' की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा बार-बार अभिनिर्धारित किया गया है, 'आपराधिक मानव वध' एक श्रेणी है और 'हत्या' इसकी प्रजाति है और सभी 'हत्याएँ' 'आपराधिक मानव वध' हैं लेकिन सभी 'आपराधिक मानव वध' 'हत्याएँ' नहीं हैं।

88. ***विनीत कुमार चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,*** (2007) 14 एस.सी.सी. 660 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 'हत्या' और 'हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध' के बीच सैद्धान्तिक अंतर को स्पष्ट रूप से देखा, जिसे ***आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु पुन्नय्या,*** (1976) 4 एस.सी.सी. 382 में स्पष्ट किया गया, जहाँ निम्नानुसार टिप्पणी की गई:

> *"..... संहिता की धारा 299 और 300 की व्याख्या और अनुप्रयोग को देखने का सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि उक्त धाराओं के विभिन्न खंडों में प्रयुक्त मुख्य शब्दों पर ध्यान दिया जाए। संहिता की धारा 299 और 300 के प्रत्येक खंड की बारीकी से तुलना करते हुए और विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य और राजवंत सिंह बनाम केरल राज्य में, न्यायालय के निर्णयों से समर्थन प्राप्त करते हुए, न्यायालय की ओर से बोलते हुए, माननीय न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया ने दोनों अपराधों के बीच अंतर के बिंदुओं को स्पष्ट रूप से सामने लाया, जिन्हें बार-बार दोहराया गया है। ऐसा करने के बाद, न्यायालय ने कहा कि जब भी न्यायालय के सामने यह प्रश्न आता है कि अपराध हत्या है या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध, तो मामले के तथ्यों के आधार पर, उसके लिए इस समस्या पर तीन*

चरणों में विचार करना सुविधाजनक होगा। प्रथम चरण में विचारणीय प्रश्न यह होगा कि अभियुक्त ने ऐसा कार्य किया है जिससे किसी अन्य की मृत्यु हुई है। दूसरा, यदि अभियुक्त के कृत्य और मृत्यु के बीच ऐसा कारणात्मक संबंध है, तो यह विचार करने के लिए दूसरा चरण आता है कि क्या अभियुक्त का कृत्य धारा 299 में परिभाषित आपराधिक मानव वध के अंतर्गत आता है। यदि इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है, तो अपराध हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध होगा, जो धारा 304 के प्रथम या द्वितीय भाग के अंतर्गत दंडनीय होगा, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि धारा 299 का यह दूसरा या तीसरा खंड लागू होता है या नहीं। यदि यह प्रश्न सकारात्मक पाया जाता है, लेकिन मामले धारा 300 में उल्लिखित किसी भी अपवाद के अंतर्गत आते हैं, तो भी अपराध हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध होगा, जो संहिता की धारा 304 के प्रथम भाग के अंतर्गत दंडनीय होगा। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया कि ये न्यायालय के कार्य को सुगम बनाने के लिए केवल व्यापक दिशानिर्देश थे, न कि कोई कठोर अनिवार्यता।"

89. भा.दं.सं. की धारा 302 और 304 को शासित करने वाले विधिक सिद्धांतों को समझने के बाद, आइए अब परीक्षा करें कि क्या अपीलार्थी सं.1 का मामला, जैसा कि वह दावा करता है, धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत आता है जो अपराध संहिता की धारा 304 के पहले भाग के अंतर्गत दंडनीय होगा या क्या विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि की जा सकती है।

90. यह परीक्षा करने के लिए कि क्या अपीलार्थी का मामला भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत आता है, आइए हम निम्नलिखित उपबंध उदधृत करें जो निम्नानुसार है:

"अपवाद 1.- आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है - आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म-संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की, जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे।

ऊपर का अपवाद निम्नलिखित परंतुकों के अध्यधीन है:-

पहला- यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रुप में इप्सित न हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो।

दूसरा- यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक-सेवक द्वारा ऐसे लोक-सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में, की गई हो।

तीसरा- यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो, जो निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो।

स्पष्टीकरण- प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है।"

91. अब हम ***के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य,*** 1962 पूरक (1) एस.सी.आर. 567 के प्रसिद्ध मामले का संदर्भ देंगे, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने गंभीर और अचानक उकसावे के पहलू पर विस्तार से विचार किया था और निम्नानुसार टिप्पणी की थी:

"135. मानव वध किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को मारना है। इस अपवाद के अंतर्गत, यदि निम्नलिखित शर्तें पूर्ण हों, तो आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है: (1) मृतक ने अभियुक्त को उकसावा दिया हो। (2) उकसावा गंभीर होना चाहिए। (3) उकसावा अचानक होना चाहिए। (4) अपराधी, उक्त उकसावे के कारण, अपने आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित

हो गया हो। (5) उसने आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित रहने के दौरान मृतक को मार दिया हो। (6) अपराधी ने उकसावे देने वाले व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को गलती या दुर्घटना से मार दिया हो।

152. क्या "गंभीर और अचानक" उकसावे के सिद्धांत को लागू करने के लिए एक तर्कशील व्यक्ति के लिए कोई मानक है? तर्कसंगतता का कोई संक्षिप्त सार मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता है। एक तर्कशील व्यक्ति कुछ परिस्थितियों में क्या करेगा, यह रीति-रिवाज़ों, शिष्टाचार, जीवन शैली, पारंपरिक मूल्यों आदि पर निर्भर करता है; संक्षेप में, उस समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक पृष्ठभूमि जिससे वह अभियुक्त संबंधित है। हमारे विशाल देश में सभ्यता की निम्नतम से लेकर उच्चतम स्थिति तक के सामाजिक समूह हैं। किसी भी मानक को सटीकता के साथ निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है : प्रत्येक मामले में प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लेना न्यायालय का कार्य है। इस मामले में यह पता लगाना आवश्यक नहीं है कि क्या अभियुक्त के स्थिति में रखे गए एक तर्कशील व्यक्ति ने क्षणिक रूप से या अस्थायी रूप से अपना आत्म-नियंत्रण खो दिया होगा जब उसकी पत्नी ने उसके सामने दूसरे के साथ अपनी अवैध अंतरंगता स्वीकार की होगी, क्योंकि हम इस साक्ष्य से संतुष्ट हैं कि अभियुक्त ने अपना आत्म-नियंत्रण हासिल कर लिया और जानबूझकर आहूजा की हत्या कर दी।

153. वर्तमान जाँच से संबंधित भारतीय विधि को इस प्रकार कहा जा सकता है: (1) "गंभीर और अचानक" उकसावे की कसौटी यह है कि क्या अभियुक्त के रूप में समाज के उसी वर्ग से संबंधित एक तर्कशील व्यक्ति, जिस स्थिति में अभियुक्त को रखा गया था, उसे इस तरह से उकसाया जाएगा कि वह अपना आत्म-नियंत्रण खो दे। (2) भारत में, कुछ परिस्थितियों में, शब्द और हाव-भाव भी किसी अभियुक्त को गंभीर और अचानक उकसावे का कारण बन सकते हैं, जिससे उसका कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के प्रथम अपवाद के अंतर्गत आ जाता है। (3) पीड़ित के पिछले कार्य से उत्पन्न मानसिक पृष्ठभूमि को यह पता लगाने में ध्यान में रखा जाएगा कि क्या बाद के कार्य ने अपराध करने के लिए गंभीर और अचानक उकसावे का कारण बना। (4) घातक आघात का पता स्पष्ट रूप से उस उकसावे से उत्पन्न जुनून के प्रभाव से लगाया जाना चाहिए, न कि समय बीतने के बाद

जुनून के ठंडा होने के बाद, या अन्यथा पूर्व-विचार और आकलन के लिए समय और गुंजाइश देने के बाद लगाया जाना चाहिए।"

92. ***सुखलाल सरकार बनाम भारत संघ एवं* अन्य,** (2012) 5 एस.सी.सी. 703 में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"10. "गंभीर" और "अचानक" उकसाने की अभिव्यक्तियों का अर्थ कई मामलों में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए सामने आया है और उन मामलों में निर्णयों का संदर्भ देना अनावश्यक है। "गंभीर" अभिव्यक्ति इंगित करती है कि उकसावे की प्रकृति ऐसी हो ताकि अपीलार्थी को खतरे का कारण बनाया जा सके। "अचानक" से ऐसी कार्रवाई अभिप्रेत है जो अपीलार्थी को उकसाने के लिए त्वरित और अप्रत्याशित होनी चाहिए। यह प्रश्न कि क्या उकसावा गंभीर और अचानक था, तथ्य का प्रश्न है, न कि विधि का। प्रत्येक मामले पर उसके अपने तथ्यों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।

11. धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत, उकसावे को गंभीर और अचानक होना चाहिए और गंभीरता और अचानकता से अपीलार्थी को आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित करना चाहिए, न कि केवल बचाव के लिए उकसावे की स्थापना करनी चाहिए। यह दर्शाना पर्याप्त नहीं है कि अपीलार्थी को अपना नियंत्रण खोने के लिए उकसाया गया था, बल्कि यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि उकसावा ऐसा था जिससे परिस्थितियों में तर्कशील व्यक्ति अपना आत्म-नियंत्रण खो सकता था। कोई व्यक्ति उकसावे का लाभ लेने के लिए यह साबित कर सकता है कि उकसावा गंभीर और अचानक था, कि वह आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित था और वह उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बना जबकि वह अभी भी उस मानसिक स्थिति में था।

93. इन विधिक सिद्धांतों को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त का बचाव कि उसका मामला धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत आता है, कोई आधार नहीं रखता है। *अचानक और गंभीर उकसावे* का अभिवाक् केवल तभी लिया जा सकता है जब कोई व्यक्ति इतना

अधिक उकसाया जाता है कि वह अपना आत्म-नियंत्रण खो देता है और मन की उसी स्थिति में रहते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है। अभि.सा.2 सन्नी ने अपने परिसाक्ष्य में कहा था कि मृतक कुलदीप और सपना के बीच प्रेम संबंध के कारण अभियुक्त रवि कुमार के परिवार की कुलदीप के साथ शत्रुता थी। उसने आगे बयान दिया कि इस घटना से लगभग एक महीने पहले, रवि कुमार ने अपनी बेटी सपना को कुलदीप से प्रेम करने के लिए पीटा था और उसे उसके मामा के घर भेज दिया था। परिसाक्ष्य के इस हिस्से को मृतक कुलदीप की माँ अभि.सा.4 प्रेमलता के परिसाक्ष्य से भी संपुष्टि मिलती है, जिसने बयान दिया था कि इस घटना से लगभग दो-तीन महीने पहले अभियुक्त रवि ने अपनी बेटी सपना को पीटा था और उसे उसके मामा के घर भेज दिया था। अभि.सा.4 ने यह भी बयान दिया था कि इस घटना से लगभग 2-3 महीने पहले अभियुक्त रवि और संजय उसके घर आए थे और शिकायत की थी कि अभियुक्त कुलदीप सपना को परेशान करता है और उसे ऐसा करने से रोकने की सलाह देने को कहा। इसलिए यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी रवि को घटना की तिथि से बहुत पहले ही कुलदीप और उसकी बेटी सपना के प्रेम संबंध के बारे में पता चल गया था। घटना की तिथि को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसने अभियुक्त को अपना आत्म-नियंत्रण खोने या उस मानसिक स्थिति में रहते हुए उसकी मृत्यु का कारण बनने के लिए उकसाया हो। इसलिए, अचानक और गंभीर उकसावे का बचाव अपीलार्थी सं.1 के लिए उपलब्ध नहीं है। एक अन्य

प्रासंगिक बिंदु जो अचानक और गंभीर उकसावे के उसके सिद्धांत को खारिज करता है, वह यह है कि यह अभिलेख पर साक्ष्य से साबित होता है कि जब अभियुक्तगण मकान सं. बी-1, सेवक पार्क के सामने की *गली* से बाहर आए तो वे हथियारों से लैस थे। जबकि अभियुक्त संजय के पास *डंडा* था, अभियुक्त रवि कुमार के पास एक बड़ा चाकू (छूरा) था। शवपरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, अभियुक्तगण ने मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों जैसे फेफड़ों और हृदय पर 7 घाव पहुँचाए, जो प्र.अभि.सा.27 डॉ. अनिल शांडिल्य, सीनियर रेज़िडेंट, डी.डी.यू. अस्पताल के अनुसार, प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे।

94. अभियुक्त राज कुमार, करमवीर और संजय के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त राज कुमार और करमवीर की बताई गई एकमात्र भूमिका मृतक के हाथ और पैर पकड़ने की है, जबकि अभियुक्त संजय की भूमिका, जैसा कि अभिलेख में साबित हुआ है, केवल अभि.सा.2 और अभि.सा.3 को कुलदीप को बचाने के लिए आगे आने से रोकने के लिए *डंडा* चलाने के बारे में है। विद्वान अधिवक्तागण के अनुसार, इनमें से किसी भी अभियुक्तगण का मृतक की हत्या करने का कोई सामान्य आशय नहीं था।

95. भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की बारीकियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में समझाया गया है लेकिन हम केवल ***नाडोदी***

जयरामन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, (1992) 3 एस.सी.सी. 161 और ***सरवनन और अन्य बनाम पांडिचेरी राज्य*** (2004) 13 एस.सी.सी. 238 के मामले में निर्णय का संदर्भ देंगे। ***नाडोदी जयरामन और अन्य*** (पूर्वोक्त) के मामले में, न्यायालय ने टिप्पणी की है कि:

> *"9. भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अनुसार जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा सभी के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कृत्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी होगा जैसे कि वह कृत्य अकेले उसके द्वारा किया गया हो। इस प्रकार यह धारा किसी आपराधिक कृत्य में संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत निर्धारित करती है। उस दायित्व का सार "सामान्य आशय" के अस्तित्व में पाया जाता है, जो अभियुक्त को ऐसे आशय को आगे बढ़ाने के लिए आपराधिक कृत्य करने के लिए प्रेरित करता है। इस धारा का उद्देश्य ऐसे मामले से निपटना है जिसमें किसी पक्ष के अलग-अलग सदस्यों के कार्य के बीच अंतर करना और यह साबित करना कठिन हो कि उनमें से प्रत्येक ने वास्तव में क्या भूमिका निभाई थी। इसलिए, यह अधिनियमित करता है कि एक बार जब यह पाया जाता है कि सभी के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा एक आपराधिक कार्य किया गया है, तो ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस आपराधिक कार्य के लिए उत्तरदायी है जैसे कि वह अकेले उसके द्वारा किया गया हो। इस प्रकार यह आपराधिक न्यायशास्त्र के सामान्य नियम का अपवाद है कि यह उस व्यक्ति का प्राथमिक उत्तरदायित्व है जो वास्तव में अपराध करता है और केवल उसी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत कृत्य के लिए विधि के अनुसार दोषी ठहराया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है।"*

96. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में निर्दिष्ट आपराधिक कार्य एक से अधिक व्यक्तियों की ठोस कार्रवाई का

परिणाम है यदि उक्त परिणाम सामान्य आशय को आगे बढ़ाने में प्राप्त किया गया था और प्रत्येक व्यक्ति को अंतिम परिणाम के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए जैसे कि यह उसने स्वयं किया था।

97. भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए दो तत्व होने चाहिए। सबसे पहले, एक सामान्य आशय होना चाहिए और दूसरा, सामान्य आशय को आगे बढ़ाने में अभियुक्त व्यक्तियों की भागीदारी होनी चाहिए। यदि सामान्य आशय सिद्ध हो जाता है, तो यह आवश्यक नहीं है कि किसी अपराध को संयुक्त रूप से करने के लिए अभियुक्त विभिन्न व्यक्तियों के कार्य एक जैसे या एक जैसे पहचान के ही हों। कृत्य अलग-अलग प्रकृति के हो सकते हैं, लेकिन उपबंध को लागू करने के लिए उन्हें एक ही सामान्य आशय से कृत होना चाहिए। ***सुरेश एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,*** (2001) 3 एस.सी.सी. 673 और ***रामास्वामी अय्यंगर एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य,*** (1976) 3 एस.सी.सी. 779 में तीन न्यायाधीशगण की पीठ के निर्णय में उक्त सिद्धांत को दोहराया गया है, जिसमें न्यायालय ने कहा है कि आपराधिक कार्रवाई में विभिन्न सहयोगियों द्वारा किए गए कृत्य अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी द्वारा एक या दूसरे तरीके से आपराधिक उद्यम में भाग लिया होना चाहिए और संलग्न होना चाहिए,

उदाहरण के लिए, कोई भी व्यक्ति केवल पीड़ित की सहायता के लिए आने वाले किसी व्यक्ति को रोकने के लिए या अपराध के कृत को सुविधाजनक बनाने के लिए पहरा दे सकता है। ऐसा व्यक्ति भी उतना ही "कृत" करता है जितना कि उसके सह-प्रतिभागी वास्तव में योजनाबद्ध अपराध करते हैं। शारीरिक हिंसा से जुड़े अपराध के मामले में, अपराध के लिए उकसाने या सहायता करने वाले व्यक्ति को शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए और उन लोगों की ऐसी उपस्थिति जो किसी न किसी तरह से सामान्य अभिप्राय के निष्पादन में सहायता करते हैं, वह स्वयं 'आपराधिक कृत्य' में वास्तविक भागीदारी के समान है।

98. जहाँ तक सामान्य आशय का संबंध है, यह अभियुक्त की मानसिक स्थिति है जिसका अनुमान अपराध के दौरान और पूर्व उसके आचरण से और बाद की संबंधित परिस्थितियों से भी लगाया जा सकता है। जैसा कि ***हरि राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,*** (2004) 8 एस.सी.सी. 146 में टिप्पणी की गई है, सामान्य आशय के प्रत्यक्ष प्रमाण का अस्तित्व शायद ही कभी उपलब्ध होता है और इसलिए, इस तरह के आशय का अनुमान केवल मामले के सिद्ध तथ्यों और सिद्ध परिस्थितियों से ही लगाया जा सकता है। इसलिए, समान आशय के आरोप को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष को प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा यह स्थापित करना होगा कि अपराध करने के

लिए सभी अभियुक्तगण की पूर्व योजना थी या उनके मन में एकमतता थी, तभी किसी व्यक्ति को दूसरे के कृत्य के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।

99. ***राजस्थान राज्य बनाम शोभा राम,*** (2013) 14 एस.सी.सी. 732 में इस निर्णय के बाद, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित कर दिया कि उस मामले में सामने आई तथ्यात्मक स्थिति से पता चला कि अ-1 और अ-2 भाई थे और मृतक के साथ उनकी पुरानी शत्रुता थी। घटना की तिथि को अ-1 ने मृतक पर पत्थरों से हमला किया और अ-2 मृतक की छाती पर बैठा था। यह टिप्पणी की गई कि अ-1 और अ-2 का मृतक व्यक्तियों पर हमला करने और उनकी हत्या करने का एक समान आशय था, जिसमें अ-2 भी अपराध में भागीदार था, जिसका उद्देश्य पूर्व-निर्धारित योजना के अनुसार अपराध को अंजाम देने में सहायता करना था।

100. ***सतबीर उर्फ़ लाखा बनाम हरियाणा राज्य,*** 2013 (1) एस.सी.सी. (आप.) 129 मामले में एक झगड़ा हुआ था। अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त अ-3 और अ-4 ने अभि.सा. को पकड़कर रखा था, जबकि अ-1 ने उन पर चाकू से हमला किया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तगण ने पीड़ितों को पकड़कर नहीं रखा होता, तो अ-1 के लिए उन्हें चोट पहुँचाने की कोई गुंजाइश नहीं होती। उच्च न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा

307 और 324 के साथ पठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्धि की पुष्टि की और शीर्ष न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया।

101. ***राज पॉल सिंह एवं अन्य बनाम राज्य,*** (2013) 1 एस.सी.सी. (आप.) 7 में, अ-1 ने पूरी तरह से नशे की हालत में परिवादी को अभद्र भाषा में गाली देना शुरू कर दिया। परिवादी के पति ने अपीलार्थी को परिवादी को गाली न देने की चेतावनी दी। अ-1 ने ध्यान नहीं दिया और अपनी पत्नी से चाकू लाने को कहा। अ-1 की पत्नी अ-2 ने चाकू लाकर अ-1 को दे दिया, जिसने परिवादी पर चाकू से वार कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप वह रक्त से लथपथ होकर गिर पड़ा और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ बाद में उसकी मौत हो गई। अ-1 को गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके बताने पर चाकू बरामद कर लिया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि मृतक निहत्था था और मृतक से अपीलार्थीगण को कोई शारीरिक खतरा नहीं था, और अ-1 ने अ-2 द्वारा चाकू दिए जाने के बाद अ-2 के उकसाने पर मृतक की छाती के बायीं ओर वार किया, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई। इस प्रकार, यह एक ऐसा मामला था जहाँ अपीलार्थीगण ने अनुचित लाभ उठाया और क्रूर या असामान्य ढंग से कार्य किया। अपीलार्थीगण को भा.दं.सं. की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के अंतर्गत हत्या करने का दोषी ठहराया गया।

102. वर्तमान मामले के तथ्यों पर विधि के स्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा विचारित सामान्य आशय उनके कृत्यों और आचरण से स्पष्ट है। सभी अभियुक्तगण रवि कुमार, संजय, करमवीर और राज कुमार सगे भाई हैं, जो कुलदीप के आचरण से व्यथित थे, क्योंकि उसका रवि कुमार की बेटी के साथ प्रेम संबंध था, जिससे उनके परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई थी। अपने सामान्य आशय के अंतर्गत, जब कुलदीप अपने भाई सन्नी और मौसेरे भाई रूपेश के साथ बाल्मीकि मंदिर से लौट रहा था, तो उसे सभी अभियुक्तगण ने घेर लिया। अभियुक्त रवि ने अपने सह-अभियुक्तगण को उस दिन कुलदीप को खत्म करने के लिए कहा क्योंकि वह उनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुँचा रहा था। इसके बाद करमवीर और राज कुमार ने कुलदीप को पकड़ लिया और उसे जकड़कर रखा, जबकि अभियुक्त संजय जो अपने हाथ में *डंडा* लिए हुए था, उसने कुलदीप के भाइयों सन्नी और रूपेश को कुलदीप के पास आने और उसकी कोई सहायता करने से रोकने का प्रयास किया और उसके बाद, अभियुक्त रवि ने मृतक पर चाकू से अंधाधुंध वार किए, जिसके परिणामस्वरूप कुलदीप को सात से अधिक घाव आए, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृतक निहत्था था और उसकी ओर से अपीलार्थीगण को कोई शारीरिक खतरा नहीं था। केवल यह तथ्य कि करमवीर और राज कुमार की भूमिका केवल उसे पकड़ने तक सीमित थी, उनके उत्तरदायित्व को कम नहीं करता, क्योंकि यदि उन्होंने उसे नहीं पकड़ा होता, तो अकेले अभियुक्त रवि के

लिए, जो एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, 24 वर्षीय युवक कुलदीप पर चाकुओं से कई वार करना संभव नहीं था। संजय की भूमिका भी बाकी सह-अभियुक्तगण से कम नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार, यह आपराधिक कृत्य सभी अभियुक्तगण के सामान्य आशय से किया गया था, ताकि कुलदीप की हत्या की जा सके।

103. उपरोक्त चर्चा का अनिवार्य निष्कर्ष यह है कि अभिलेख पर उपलब्ध पूरी सामग्री पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सूक्ष्म रूप से विचार किया गया था और आक्षेपित निर्णय और दंड का आदेश किसी भी दोष या विकृति से ग्रस्त नहीं है जो हस्तक्षेप की माँग करता हो। अपील में कोई गुणागुण नहीं पाया गया, तथा हम इसे खारिज करते हैं।

104. इस निर्णय से विभाजित होने से पूर्व हम 24 वर्षीय एक युवा लड़के की उस क्रूर और चौंकाने वाली हत्या पर अपनी गहरी पीड़ा और दर्द व्यक्त करते हैं, जिसे उस लड़की के पिता और उसके तीन भाइयों द्वारा मार दिया गया, जिसके साथ वह प्रेम और संबंध में था। लड़का और लड़की दोनों वयस्क थे और एक ही इलाके में रहते थे। अक्सर कहा जाता है कि जब दो व्यक्ति एक-दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और प्रेम के बंधन के कारण संबंध में प्रवेश करते हैं तो उनका संबंध जाति, पंथ, धर्म और दर्जे की बाधाओं से ऊपर होता है। भारतीय समाज गहरी जड़ें जमाए हुए मूल्य प्रणाली पर आधारित है और

पारंपरिक मूल्य प्रणाली अभी भी सामाजिक संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे वह विवाह का आयोजन हो या अन्य पारंपरिक समारोहों का। कई कारकों के कारण होने वाले कट्टरपंथी सामाजिक परिवर्तनों के बावजूद, अपने बच्चों के जीवन पर माता-पिता का प्रभुत्व, जिसमें उनकी शिक्षा और करियर का निर्णय शामिल है, अभी भी मौजूद है और यह प्रभुत्व सबसे अधिक विवाह के निर्णय में है। ऐसे परिवार भी हैं जहाँ अभी भी बच्चे अपने वर/वधू के चयन में अपने माता-पिता और संबंधियों की इच्छाओं का उचित सम्मान करते हैं, लेकिन पिछले दो दशकों में और शायद उससे भी अधिक समय पहले से, युवा बच्चों के व्यवहार में क्रांतिकारी बदलाव देखे जा सकते हैं। समाज की आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता बहुत तेज़ी से बदल रही है। इसका प्रमाण लिव-इन रिलेशनशिप (स्वैच्छिक सहवास) की बढ़ती संख्या से मिलता है, जिसे युवा पीढ़ी इस आधार पर उचित ठहराती है कि विवाह का बंधन बहुत बोझिल है, जैसा कि तलाक के बढ़ते मामलों से साबित भी होता है। इसके अतिरिक्त, बदलते समय के साथ इन लिव-इन रिश्तों को विधिक मान्यता मिल गई है और धीरे-धीरे सामाजिक रूप से भी इन्हें स्वीकार किया जा रहा है। स्कूल और कॉलेज के अतिरिक्त भी कई ऐसे मंच हैं जहाँ किशोर एक-दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। समाज में इस वास्तविकता की बढ़ती स्वीकार्यता मीडिया द्वारा प्रतिध्वनित हो रही है और अब ऐसे संबंध अधिकाधिक प्रकाश में आ रहे हैं।

105. इसलिए, समय की माँग है कि लड़कों और महत्वपूर्ण रूप से लड़कियों को विवाह के जैसे पवित्र बंधन में प्रवेश करने या यहाँ तक कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने से पहले अपने जीवन से संबंधित इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले बहुत सावधान और सतर्क रहना होगा। बलात्कार के मामलों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण लिव-इन रिलेशनशिप की विफलता या ऐसे युवा वयस्कों की ओर से किया गया कोई अपरिपक्व निर्णय है जो अक्सर एक टूटे हुए संबंध पर समाप्त हो जाता है लेकिन कभी-कभी शारीरिक संबंध में लिप्त होने के बाद भी ऐसा होता है। हालाँकि, यह इस तरह के संबंधों में शामिल व्यक्तियों के कंधों पर एक उत्तरदायित्व डालता है कि वे ज़िम्मेदारी से और समझदारी से कार्य करें। दूसरी ओर जब इन संबंधों की स्वीकृति का प्रश्न आता है तो माता-पिता से भी अधिक संवेदनशीलता और परिपक्वता के साथ व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है क्योंकि ऐसे मुद्दों को उदासीनता या दोनों को अलग करने के मंतव्य के बजाय धैर्य, समझ और सहिष्णुता के साथ हल करने की आवश्यकता होती है। अक्सर यह देखा जाता है कि इस प्रकार के संबंधों को दबाने के किसी भी जल्दबाज़ी भरे प्रयास का प्रायः कटु भावनाओं या यहाँ तक कि विद्रोह के रूप में प्रतिशोध के रूप में सामना होता है। इसलिए, माता-पिता को बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने बच्चों की बढ़ती स्वतंत्रता को स्वीकार करने और उनकी भावनाओं को उचित सम्मान देते हुए इन भावनात्मक मुद्दों से तर्कसंगत और निष्पक्ष रूप से निपटने की आवश्यकता है।

106. मृतक कुलदीप के बहुमूल्य जीवन का शायद इतना दुखद अंत नहीं होता और इन अभियुक्त व्यक्तियों को शायद आजीवन कारावास के दंड की गंभीरता का सामना नहीं करना पड़ता, यदि उन्होंने विधि को अपने हाथों में लेने के बजाय चीज़ों को हल करने के लिए उचित धैर्य, सहिष्णुता और समझ के साथ समझदारी और परिपक्व ढंग से कार्य किया होता।

अपीलार्थीगण को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से सूचित किया जाए। आदेश की प्रति तथा विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाए।

(सुनीता गुप्ता)
न्यायाधीश

(कैलाश गंभीर)
न्यायाधीश

30 मई, 2014
आरएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*